सत्यमेव जयते

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय कार्य योजना

वित्त वर्ष 2024-25

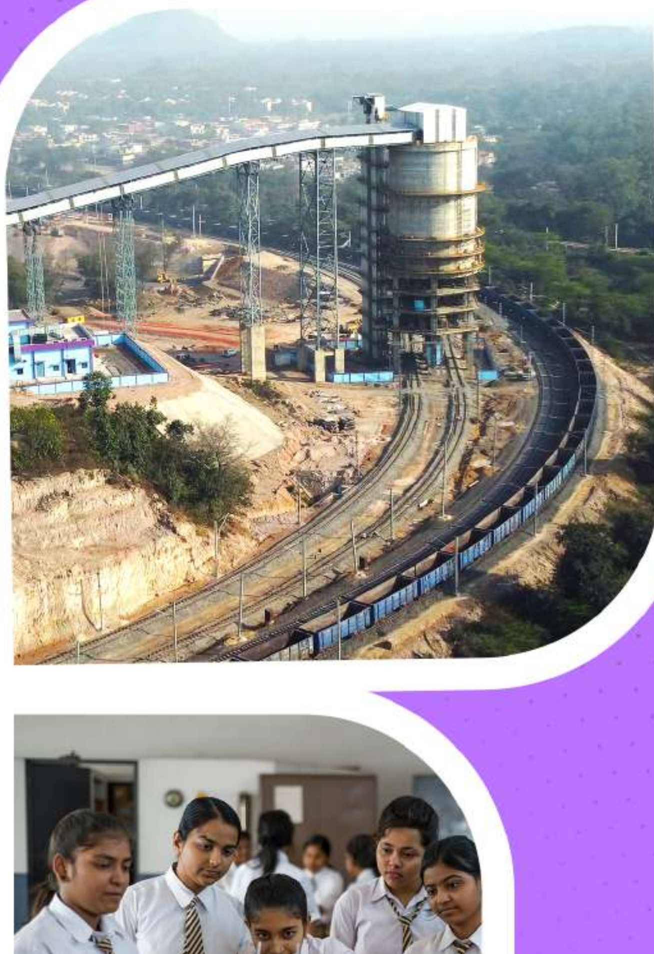

परिचय

रिकॉर्ड कोयला उत्पादन प्राप्त करना और इस प्रकार देश भर के ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य क्षेत्रों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को और बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी नीतिगत सुधार लाना वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला क्षेत्र की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां थीं।

वित्त वर्ष 2023-24 में 972.32 मिलियन टन (अनंतिम) की रिकॉर्ड कोयला आपूर्ति, 997.23 मिलियन टन (अनंतिम) का कोयला उत्पादन, पारदर्शी वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी के तहत अब तक 91 कोयला खानों की सफल नीलामी, देश के विभिन्न हिस्सों में निवेशकों का सम्मेलन आयोजित करना, बीएचईएल, आईओसीएल, गेल (इंडिया) जैसे प्रमुख संगठनों के साथ कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला मंत्रालय की उपलब्धियों की कुछ अन्य प्रमुख विशेषताएं थीं।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नीति आयोग के 50118 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में मंत्रालय ने 56794.49 करोड़ रुपये (मार्च 2024 तक) तक लक्ष्य हासिल कर लिया है। कैपेक्स, जीईएम खरीद, भूमि अधिग्रहण, नई प्रौद्योगिकी को अपनाना, सतत विकास और न्यायोचित परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने जैसे अन्य क्षेत्रों में भी, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं।

अगले वित्त वर्ष 2024-25 में, कोयला मंत्रालय ने कार्य योजना के साथ अपने लक्ष्यों को और बढ़ाने की योजना बनाई है।

विषय-सूची

क्र. सं.	विषय	संबंधित अनुभाग/ प्रभाग	पृष्ठ सं.
1	कोयला उत्पादन और वितरण	सीपीडी	3-5
2	कोयला खानों की नीलामी और प्रबंधन	एनए	6-8
3	कोयला ब्लॉक नीति प्रशासन	पी एंड एस	9-10
4	कोयला परियोजना और अवसंरचना मूल्यांकन तथा निगरानी	सीपीआईएएम	11-24
5	स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी	सीसीटी	25-30
6	खान योजना और सुरक्षा	एमपीएस	31-35
7	कॉर्पोरेट मामले	सीए	36-40
8	एकीकृत वित्त प्रबंधन	आईएफडी	41-42
9	भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक संबंध	एलएएंडआईआर	43-44
10	संधारणीयता और न्यायोचित परिवर्तन	एसएंडजेटी	45-48
11	कोयला क्षेत्र के आर्थिक मामले	ईए	49-50
12	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और कल्याण	सीएसआरएंडडब्ल्यू	51-52
13	सांख्यिकीय प्रबंधन	एसडी	53-55
14	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	सीएमपीएफओ	56-57
15	स्थापना संबंधी मामले	स्थापना	58
16	सतर्कता प्रशासन	सतर्कता	59-60
17	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	आईसी	61
18	आईटी/मीडिया	आईटी/मीडिया	62-65
19	100 दिन - प्रमुख कार्रवाई मदें	तकनीकी/सीपीडी/ एलएएंडआईआर	66
20	विकसित भारत – विजन 2047 (5 वर्ष की कार्य योजना)	एनए/तकनीकी /सीपीडी/ एसएंडजेटी	67-71

1 कोयला उत्पादन और वितरण

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

सीपीडी अनुभाग को कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों, एससीसीएल और एनएलसीआईएल के कोयला/लिग्नाइट उत्पादन की निगरानी; कोयले का वितरण और आपूर्ति; लॉजिस्टिक्स; विद्युत और गैर-विद्युत क्षेत्र के लिए लिंकेज से संबंधित मामले; कोयला ई-नीलामी; कोयला आयात प्रतिस्थापन; थर्ड पार्टी सैंपलिंग और ग्रेड स्लिपेज से संबंधित मामले; कोयला सूचकांक; कोयला उपभोक्ताओं के साथ कोयला कंपनियों के ईंधन आपूर्ति समझौतों से संबंधित मामले; और कोयला लिंकेज का युक्तिकरण का कार्य सौंपा गया है।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

2.1 शक्ति नीति के तहत प्रदान दिए गए कोयला लिंकेज: शक्ति नीति के पैरा बी (i) के प्रावधानों के तहत : 12 ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को 18520 मेगावाट की कुल क्षमता के लिंकेज प्रदान किए गए हैं।

2.2 गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) के लिए लिंकेज नीलामी के अंतर्गत कोयला लिंकेज एनआरएस के लिए लिंकेज नीलामी के अंतर्गत 28.32 मि.ट. कोयले की मात्रा के लिए कोयला लिंकेज बुक किया गया था।

2.3 थर्ड पार्टी सैंपलिंग: कोल इंडिया लिमिटेड के लिए थर्ड-पार्टी सैंपलिंग परिणामों की ग्रेड अनुरूपता वित्त वर्ष 2023-24 में 76% रही है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में यह 70% थी। ऑनलाइन गुणवत्ता निगरानी पोर्टल सहित थर्ड पार्टी गुणवत्ता निगरानी तंत्र को नया रूप दिया गया है।

2.4 कोयला उत्पादन और प्रेषण: देश में वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन लगभग 11.65% की वृद्धि के साथ 997.23 मि.ट. (अनंतिम) रहा जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 893.19 मि.ट. था। कोयले की आपूर्ति भी वित्त वर्ष 2022-23 में 877.37 मि.ट. से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 10.82% की वृद्धि के साथ 972.32 मि.ट. (अनंतिम) हो गई। विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष के दौरान निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

3.1 कोयला उत्पादनः

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन/ऑफटेक के लक्ष्य को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 1080 मि.ट. पर अंतिम रूप दिया गया है:

कंपनी	उत्पादन / ऑफटेक एमटी में
कोल इंडिया लिमिटेड (इसकी सहायक कंपनियों सहित)	838
एससीसीएल	72
कैप्टिव एवं अन्य	170
अखिल भारत	**1080**

3.2 विपणन सुधार: कोयला व्यापार मंच:

देश में कोयला ट्रेडिंग सूचकांक की स्थापना से क्लीयरिंग और सेटलमेंट कार्यतंत्र के साथ एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोयला बाजार खुलेगा और बाजार में कोयला आसानी से उपलब्ध होगा। देश में कोयला सूचकांक की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल के लिए नोट का मसौदा अंतर-मंत्रालयी परामर्श हेतु परिचालित किया गया था। सीसीईए के लिए अंतिम नोट माननीय कोयला मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

3.3 कोयला गुणवत्ता आश्वासन:

कोल इंडिया लिमिटेड/एससीसीएल द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता के मुद्दे को सरकार द्वारा अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कोयले की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए, कोयला कंपनियों द्वारा आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोडिंग एंड पर कोयले की थर्ड पार्टी सैंपलिंग के लिए 2015 में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) शुरू की गई थी। थर्ड पार्टी सैंपलिंग का विस्तार गैर-विद्युत उपभोक्ताओं तक भी किया गया है। देश में विभिन्न कोयला लोडिंग स्थलों पर कोयला नमूनों के संग्रहण, इन्हें तैयार करने, इनके विश्लेषण और प्रलेखन के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसियों (टीपीएसए) को पैनल में शामिल किया गया है। टीपीएसए का चयन या तो नामांकन या निविदा की प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। नए टीपीएसए को अब पीएफसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड और कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा पैनल में शामिल किया जा रहा है। वर्तमान में, 12 टीपीएसए को थर्ड पार्टी सैंपलिंग का काम करने के लिए पैनल में शामिल किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए उपलब्धि:

वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में थर्ड पार्टी सैंपलिंग की लक्षित उच्चतर-श्रेणी की अनुरूपता (80% से अधिक)।

3.4 कोयले की आपूर्ति:

विद्युत मंत्रालय की ताप क्षमता वृद्धि योजना के लिए पर्याप्त कोयले की पेशकश की जाएगी।

विद्युत क्षेत्र और एनआरएस को सुनिश्चित/निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

2

कोयला खान नीलामी और प्रबंधन

1. परिचय

देश में निजी कोयला खानों में अवैज्ञानिक खनन पद्धतियों और श्रमिकों की खराब कामकाजी परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए 1970 के दशक में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्ष 2014 में, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन 204 कोयला खानों/ब्लॉकों को रद्द कर दिया जिन्हें कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत 1993 से विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों को आवंटित किया गया था। 2015 में, केंद्र सरकार इन कोयला ब्लॉकों को फिर से आवंटित करने के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम लेकर आई। इन कोयला खानों का आवंटन करने और कोयला खनन प्रचालनों तथा कोयले के उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सफल बोलीदाताओं और आबंटितियों को खनन पट्टों सहित भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर अधिकार, स्वामित्व और हित निहित करने जैसी सहवर्ती जिम्मेदारियों के लिए इस अधिनियम को प्रख्यापित किया गया था। इसके बाद, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 संसद द्वारा पारित किया गया था जिसे 30.03.2015 को एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया था।

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 6 (1) के तहत नियुक्त किया गया है और इन्हें निम्नानुसार समस्त जिम्मेदारियां दी गई है:

- नीलामी प्रक्रिया और आवंटन का संचालन करना;
- निधान आदेश का निष्पादन, नीलामी के अनुसार अनुसूची I कोयला खानों का हस्तांतरण और इन्हें निहित करना;
- धारा 5 के अनुसरण में किसी भी सरकारी कंपनी या निगम के लिए आवंटन आदेश निष्पादित करना;
- सहमति, अनुमति, परमिट, अनुमोदन, अनुदान, पंजीकरण सहित किसी भी प्रकृति के अमूर्त अधिकारों को रिकॉर्ड करना और उत्परिवर्तित करना; नीलामी से प्राप्त आय का संग्रहण, अधिमान्य भुगतानों का समायोजन और सीएम (एसपी) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जहां अनुसूची-I कोयला खान स्थित है, वहां संबंधित राज्य सरकारों को राशि का अंतरण।
- नीलामी/आवंटित खानों का प्रचालन।

2. सौंपे गए कार्यों का सार:

- सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार कोयला ब्लॉकों की नीलामी और आवंटन।
- विभिन्न चरणों में नीलाम किए जाने वाले कोयला ब्लॉकों की सूची को अंतिम रूप देना।
- सफल बोलीदाताओं के साथ सीएमडीपीए पर हस्ताक्षर करना और नए आबंटितियों को निहित आदेश/आबंटन आदेश जारी करना।
- नीलामी आय का संग्रहण।
- पूर्व आवंटितियों को देय मुआवजा राशि को अंतिम रूप देना।
- खानों के संचालन और कोयले के उत्पादन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए राज्य सरकारों, एमओईएफ और सीसी, आबंटितियों आदि सहित हितधारकों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
- सीएमडीपीए/आवंटन समझौते के दक्षता मानदंड में निर्दिष्ट लक्ष्यों की समय-सीमा की निगरानी करना। यदि लक्ष्य प्राप्त करने में विलंब होता है तो आबंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं और मामले को संवीक्षा समिति को भेज दिया जाता है। संवीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर पीबीजी के विनियोग के रूप में शास्ति लगाने का निर्णय लिया जा रहा है।
- ऐसे मामले में जहां खान के प्रचालन में असामान्य देरी होती है, आवंटन को समाप्त करने का निर्णय भी सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के उपबंध के अनुसार लिया जा रहा है।

कोयला ब्लॉकों के आवंटन की वर्तमान स्थिति:

जून 2020 में वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी शुरू होने से पहले नीलामी के माध्यम से आवंटित कोयला ब्लॉकों की स्थिति:

क्र.सं.	आवंटन का माध्यम	अंत्य उपयोग "विद्युत"	अंत्य उपयोग "एनआरएस"	कोयले की बिक्री	कुल	खानें खोलने की अनुमति वाली खानें	गैर-प्रचालनरत खानें	उत्पादनरत खानें
1	नीलामी	5	18	0	23	14	9	14
2	आवंटन	38	2	12	52	32	20	30
	कुल	**43**	**20**	**12**	**75**	**46**	**29**	**44**

वाणिज्यिक कोयला खान की नीलामी शुरू होने के बाद नीलामी के माध्यम से आवंटित कोयला ब्लॉकों की स्थिति।

क्र.सं.	आवंटन का माध्यम	अंत्य उपयोग "विद्युत"	अंत्य उपयोग "एनआरएस"	कोयले की बिक्री	कुल	खानें खोलने की अनुमति वाली खानें	गैर-प्रचालनरत खानें	उत्पादनरत खानें
1	नीलामी	0	0	80	80	11	69	9
कुल योग		**43**	**20**	**12**	**75**	**46**	**29**	**44**

3. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धि

- वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी के 2 दौर शुरू किए गए थे और 20 खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई थी। 9 कोयला खानों के लिए आवंटन करार पर हस्ताक्षर किए गए थे और 32 कोयला खानों के लिए आबंटन/निहित आदेश जारी किए गए थे।
- कैप्टिव/वाणिज्यिक खानों से कोयला उत्पादन: 147.12 मि.ट. वित्त वर्ष 2022-23 में 116.68 मि.ट. उत्पादन की तुलना में 26% अधिक वृद्धि।
- कैप्टिव/वाणिज्यिक खानों से कोयला प्रेषण: 142.79 मि.ट. वित्त वर्ष 2022-23 में 109.96 मि.ट. प्रेषण की तुलना में 30% की वृद्धि।
- 7 खानों ने खान खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली है और 09 खानों ने कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया है।

4. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य

- शुरू की जाने वाली नीलामियों की संख्या: 03
- सफलतापूर्वक नीलाम की जाने वाली खानों की संख्या: 25
- कोयला उत्पादन और प्रेषण: 170 मि.ट.
- 14 खानों को खान खोलने की अनुमति मिलने की संभावना है और 10 खानों से कोयला उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

3

कोयला ब्लॉक नीति प्रशासन

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- रद्द किए गए 204 कोयला ब्लॉकों का कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के तहत आवंटन।
- सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के तहत नीतियों/कार्यप्रणालियों का निर्माण।
- सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत कोयले के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग/बिक्री के लिए कोयला ब्लॉकों की पहचान।
- सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम के तहत नीलामी/आवंटन प्रक्रिया आयोजित करने और सफल बोलीदाता/आवंटिती को निधान/आवंटन आदेश जारी करने के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को निर्देश जारी करना।
- पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे के लिए पूर्व अनुमोदन और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुमोदन से संबंधित मुद्दे।
- रद्द किए गए/रद्द न किए गए कोयला ब्लॉकों/अतिरिक्त लेवी मामलों से संबंधित सीबीआई मामले।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

- ऑनलाइन डिपॉजिट के रूप में बोली प्रतिभूति स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान प्रदान करने के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 और कोयला ब्लॉक आवंटन नियम, 2017 में संशोधन किया गया था।
- पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा प्रदान करने के लिए 6 राज्यों के संदर्भ में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 6(1) के तहत क्षेत्रीय सीमा को बढ़ाया गया था, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय छूट (वर्ग किलोमीटर में)
1	महाराष्ट्र	40
2	ओडिशा	45
3	पश्चिम बंगाल	25
4	मध्य प्रदेश	35
5	झारखंड	75
6	छत्तीसगढ़	90

- मेघालय में 18 ब्लॉकों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और 4 ब्लॉकों के लिए खनन पट्टे के लिए पूर्व अनुमोदन दिया गया था।
- मेघालय राज्य से 6 भूवैज्ञानिक रिपोर्टों (जीआर) को मंजूरी प्रदान की गई।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

- वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी हेतु 20-25 कोयला खानों/ब्लॉकों की पहचान करना।
- कोयला क्षेत्र में और सुधारों के बारे में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना।
- भूमिगत कोयला खनन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति तैयार करना।
- वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के कोयला ब्लॉकों के लिए पीएल, एमएल का पूर्व अनुमोदन और जीआर को अनुमोदन प्रदान करना।

4 कोयला परियोजना और अवसंरचना मूल्यांकन तथा निगरानी

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- कोयला क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी
- कोयला खनन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।
  - (i) खान विकासकर्ता सह प्रचालकों (एमडीओ) के माध्यम से कोयला खनन परियोजनाएं
  - (ii) राजस्व शेयरिंग के आधार पर बंद की गई कोयला खानों को फिर से खोलना
- कोकिंग कोल मिशन का कार्यान्वयन और वॉशरियों की स्थापना।
- कोयला लॉजिस्टिक्स
  - (i) कोयला लॉजिस्टिक्स नीति और एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना का कार्यान्वयन
  - (ii) लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का विकास: कोयला क्षेत्र के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) और रेल परियोजनाएं
- कोयला खनन परियोजनाओं के पर्यावरण और वन मंजूरी (ईसी / एफसी) की सुविधा
- कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना
- कोयला क्षेत्र में 'मेक-इन-इंडिया' नीति, एचईएमएम और वैश्विक बेंचमार्किंग को बढ़ावा देना
- पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) पोर्टल को बढ़ावा देना
- फ्लाई ऐश का निपटान - टीपीपी को बंद खानों का आवंटन और संबंधित मुद्दे
- पीएम सेक्टर समीक्षा के तहत प्राथमिकता प्राप्त एजेंडा का कार्यान्वयन और प्रमुख परफोरमेंस इंडिकेटर्स (केपीआई) की निगरानी
- सरकार के निगरानी पोर्टलों और डैशबोर्ड में एजेंडा/मदों को नियमित रूप से अद्यतन करना।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

2.1 अवसंरचना परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी:

- 83 एमटीवाई क्षमता वाली 13 खानों का प्रचालन

2.2 सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:

- सीआईएल द्वारा एमडीओ मोड (एलओए जारी करना) पर कोयला खनन के लिए तीन (03) परियोजनाएं प्रदान करना
- ईसीएल की एक (01) एमडीओ परियोजना का प्रचालन
- सीआईएल द्वारा राजस्व शेयरिंग आधार पर दस (10) बंद की गई खानें प्रदान करना।

2.3 कोकिंग कोल मिशन और कोल वाशरीज:

- मधुबन कोकिंग कोल वॉशरी का चालू होना (5 एमटीवाई क्षमता)
- आईबी वैली वॉशरी का चालू होना (10 एमटीवाई क्षमता)
- कोकिंग कोल के प्रमुख मुद्दों पर मेकॉन/सीएमपीडीआई की अंतिम संयुक्त समिति रिपोर्ट

2.4 कोयला लॉजिस्टिक्स:

- कोयला लॉजिस्टिक्स नीति और एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना का शुभारंभ।
- 93.5 एमटीवाई की कोयला हैंडलिंग क्षमता वाली 8 एफएमसी परियोजनाओं को चालू करना
- कोयला निकासी के लिए 3 रेल परियोजनाओं को चालू करना
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 8,000 करोड़ रुपये मूल्य की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन।
- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 29000 करोड़ रुपये मूल्य की 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखना।
- कोयला निकासी के लिए आरएसआर को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों पर आईएमसी रिपोर्ट।
- कोयला लॉजिस्टिक्स नीति और योजना के कार्यान्वयन के लिए आईएमसी का गठन

2.5 शीघ्रता से मंजूरियां प्राप्त करना:

- 65 एमटीवाई की वृद्धिशील क्षमता वाली 30 परियोजनाओं के लिए ईसी प्राप्त की गई।
- 1864 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ 19 परियोजनाओं के लिए चरण-II वन मंजूरी प्राप्त की गई।

2.6 विविधीकरण:

- इक्विटी निवेश के लिए सीसीईए की मंजूरी:
  - (i) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) एसईसीएल और एमपीपीजीसीएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से 1×660 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए; और
  - (ii) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) एमबीपीएल (एमसीएल की सहायक कंपनी) के माध्यम से 2x800 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए।
  - (iii) सीआईएल द्वारा तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) में अतिरिक्त इक्विटी निवेश
- 3x800 मेगावाट वाला एनएलसी तालाबीरा ताप विद्युत संयंत्र (एनटीटीपीपी) के निर्माण की माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई और कार्य दिया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री ने राजस्थान में एनएलसी की 300 मेगावाट की बरसिंगसर सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी
- तमिलनाडु में एनएलसी द्वारा 10 मेगावाट वाली सौर स्मार्ट सिटी परियोजना को चालू करना।

2.7 'मेक-इन-इंडिया' और वैश्विक मानदंड को बढ़ावा देना:

- 'मेक-इन-इंडिया'/'आत्मनिर्भर भारत' उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों का सुझाव देने के लिए समिति की अंतिम रिपोर्ट और सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्य योजना।
- समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन: उपकरण निर्माताओं/प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी की अनुमति देने के लिए निष्पादन मानदंड, सिद्धता मानदंड और अर्हता मानदंड में छूट से संबंधित सिफारिशें सीआईएल द्वारा कार्यान्वित करना।
- कोयला कंपनियों द्वारा वैश्विक बेंचमार्क मानकों और दक्षता मानदंडों को प्राप्त करने के संबंध में अंतिम रिपोर्ट।
- वैश्विक मानदंड पर निजी क्षेत्र के साथ हितधारकों के परामर्श और 'मेक-इन-इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए मार्च, 2024 में चेन्नई में रोड शो का आयोजन किया गया।

2.8 पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय योजना का लाभ उठाना

- मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र के 74 स्तरों को शामिल किया।
- कोयला क्षेत्र में पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर बुकलेट का विमोचन – यूजर मैनुअल

2.9 फ्लाई ऐश का निपटान

- फ्लाई ऐश डंपिंग के लिए 10 बंद खानों का आवंटन
- फ्लाई ऐश फिलिंग के लिए खान को टीपीपी को सौंपने के बाद खान स्वामियों की सांविधिक जिम्मेदारियों के संबंध में तकनीकी समिति की अंतिम रिपोर्ट

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

3.1 कोयला उत्पादन में 'आत्म-निर्भर' की ओर

क. कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाना: नई खानें खोलना

कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2046-47 तक उपभोक्ताओं को मांग पर कोयला आपूर्ति क्षमता की परिकल्पना की है। कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाप्त खानों को प्रतिस्थापित करने के लिए अतिरिक्त कोयला उत्पादन क्षमता के निर्माण की आवश्यकता है। तदनुसार, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2029-30 तक 500 एमटीपीए की कोयला उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 100 नई खानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 83 मि.ट. क्षमता वाली 13 खानों का प्रचालन किया गया था।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला पीएसयू और वाणिज्यिक/कैप्टिव खानों सहित 80 एमटीपीए से अधिक की कुल 20 से अधिक नई खानों के प्रचालन का प्रस्ताव है।

ख. पुनरुद्धार खनन: एमडीओ के माध्यम से सार्वजनिक-निजी सहयोग

घरेलू कोयला उत्पादन में तेजी लाने तथा कोयला आयात निर्भरता को कम करने के लिए पारदर्शी वैश्विक खुली निविदाओं के माध्यम से कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला पीएसयू द्वारा खान विकासकर्ता सह प्रचालकों (एमडीओ) की नियुक्ति की जाती है। एमडीओ के माध्यम से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रचालन और उत्पादन में वृद्धि आएगी।

सीआईएल ने एमडीओ मोड के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए 250 एमटीपीए से अधिक की अनुमानित कोयला उत्पादन क्षमता वाली 30 परियोजनाओं की पहचान की है। निजी क्षेत्र के साथ यह साझेदारी 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लाएगी। पहचान की गई परियोजनाओं में से, 13 परियोजनाएं एमडीओ को सौंप दी गई हैं, और चार (04) पहले से ही चालू हैं।

- 57.37 एमटीपीए की क्षमता वाली 4 परियोजनाओं ने उत्पादन शुरू कर दिया है।
- 83.3 एमटीपीए क्षमता वाली 9 परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए गए हैं, जिनसे वित्त वर्ष 2024-25 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल को निम्नलिखित पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है -

- गई खानों का तेजी से प्रचालन
- एमडीओ मोड पर शेष चिन्हित खानों की पेशकश (10)
- पेशकश के लिए अतिरिक्त खानों की पहचान (05)

ग. राजस्व शेयरिंग पर पेश की गई सीआईएल की बंद की गई खानों का अनलॉक करना मूल्य

कोयला पीएसयू के पास बड़ी संख्या में बंद/परित्यक्त खानें हैं जिनमें उपयुक्त गहराई पर पर्याप्त खनन योग्य भंडार हो सकते हैं, जिन्हें वर्तमान में सुरक्षा कारणों और/अथवा अलाभकारी प्रचालनों के कारण डिस्कंटीन्यूड कर दिया गया है अथवा बंद कर दिया गया है। कोयला मंत्रालय ने बंद की गई/परित्यक्त खानों के प्रचालन के लिए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ने का प्रयास किया ताकि इसकी क्षमता का उपयोग किया जा सके और घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने में योगदान दिया जा सके।

सीआईएल ने राजस्व शेयरिंग मॉडल पर निजी खनन कंपनियों को पेशकश करने के लिए बंद की गई 34 खानों की पहचान की। 33 खानों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं और 20 बंद खानों को प्रचालन के लिए सौंप दिया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, यह निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित है:

- दी गई खानों का तेजी से प्रचालन करना।
- राजस्व शेयर पर बोली के लिए शेष चिह्नित खानों की पेशकश करना (14) ।
- अतिरिक्त बंद/परित्यक्त खानों की पहचान (05)

3.2 इस्पात के लिए कोयले के आयात में कटौती: कोयला वॉशरी

कोकिंग कोल आयात को कम करने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय ने 'कोकिंग कोल मिशन' की स्थापना की है और घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक कार्यनीति तैयार की है। देश ने वित्त वर्ष 2023-24 में 66.55 मि.ट. कोकिंग कोल का उत्पादन किया है। वर्तमान में, निजी क्षेत्र के 9.26 मि.ट. को शामिल करते हुए घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले की धोवन क्षमता लगभग 23 एमटीपीए है। इसके अलावा, इस्पात निर्माण में पीसीआई (पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन) के लिए कोकिंग कोयले के साथ-साथ कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के साथ बातचीत अपेक्षित है।

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने 33.1 एमटीपीए की क्षमता वाली ग्यारह (11) नई कोकिंग कोयला वॉशरियां स्थापित करने की योजना बनाई है। अनुमान है कि नई वॉशरियां की स्थापना से सीआईएल इस्पात क्षेत्र को लगभग 15 मि.ट. धुले हुए कोकिंग कोयले की आपूर्ति करने में सक्षम हो जाएगी। इन नियोजित वॉशरियां में से, 11.6 एमटीवाई क्षमता वाली तीन (03) वॉशरियां पहले से ही प्रचालनरत हैं। शेष निर्माण या निविदा के विभिन्न चरणों में हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान दो कोयला वॉशरी - मधुबन वाशरी (कोकिंग, 5 एमटीवाई) और इब-वैली वॉशरी (नॉन-कोकिंग, 10 एमटीवाई) चालू की गई हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, यह निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित है:

- कुल 4.5 मि.ट. क्षमता के साथ सीआईएल की दो (02) कोकिंग कोल वॉशरियों को चालू करना
- सीआईएल की चार (04) पुरानी कोकिंग कोल वॉशरियों के मुद्रीकरण के लिए प्रक्रिया शुरू करना
- निविदा/निर्माण में तेजी लाने के लिए शेष कोकिंग कोल वॉशरियों की निगरानी।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 'कोकिंग कोल मिशन' के अनुसार कोकिंग कोल उत्पादन लक्ष्य 80 मि.ट. है।
- वाशरियों के माध्यम से कोकिंग कोल/पीसीआई कोयला प्रदान करने के लिए नीति तैयार करना।

मधुबन वॉशरी (5 एमटीवाई)
धनबाद, झारखंड

ईब-वैली वॉशरी (10 एमटीवाई)
लखनपुर क्षेत्र, ओडिशा

3.3 मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग अवसंरचना को बढ़ाना: फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी

कोयला मंत्रालय ने परिवहन के सतत और पर्यावरण अनुकूल माध्यम के रूप में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं के तहत कोयला खानों से मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम की परिकल्पना की है और योजना बनाई है। यह सड़क परिवहन को इसके साथ जुड़े वायु प्रदूषण, यातायात की भीड़, सड़क को होने वाले नुकसान, आदि जैसे प्रतिकूल प्रभावों के साथ समाप्त करता है।

यह एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, लागत (डीजल) बचत, और कम लोडिंग समय को बढ़ावा देता है जिससे प्रतिवर्तन काल कम हो जाता है और वैगन की उपलब्धता बढ़ जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में 93.5 एमटीपीए क्षमता वाली 8 एफएमसी परियोजनाएं शुरू की गईं।

एफएमसी परियोजनाओं की योजना नीचे दर्शायी गई है:-

वर्षवार क्षमता वृद्धि

कमीशन किया गया/कमीशन के लिए निर्धारित	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (एमटीपीए)
कमीशन	**37**	**360**
वित्त वर्ष 2024-25	**17**	**189**
वित्त वर्ष 2025-26	**11**	**68**
वित्त वर्ष 2026-27	**5**	**27**
वित्त वर्ष 2027-28	**14**	**74**
वित्त वर्ष 2028-29	**19**	**321**
कुल	**103**	**1039**

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं:

- साइलो लोडिंग में 16% से 33% तक समग्र वृद्धि
- 189.5 एमटीपीए की क्षमता वाली 17 परियोजनाओं को पूरा करना
- आवश्यकता के अनुसार नई एफएमसी परियोजनाओं की पहचान।

एनसीएल में अमलोहरी सीएचपी

सतुपल्ली, तेलंगाना में सीएचपी (10 एमटी) निर्मित

3.4 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं

कोयला मंत्रालय ने कोयला निकासी और आपूर्ति के सतत और तीव्रतर साधनों के रूप में रेल और कन्वेयर द्वारा कोयला निकासी को गति दी है। इसने लगभग 17000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जेवी मोड या डिपॉजिट आधार के तहत छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और तेलंगाना राज्यों में कोयला पीएसयू द्वारा आठ (08) महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान की। 400 किलोमीटर के साथ पांच (05) रेल परियोजनाएं चालू की गई हैं, जबकि शेष की वित्त वर्ष 2025-26 तक पूरा होने की संभावना है। वित्त वर्ष 2023-24 में 200 किलोमीटर लंबाई वाली तीन (03) रेल परियोजनाएं चालू की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, कोयला मंत्रालय ने 38 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और 15 रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की पहचान की है। रेल मंत्रालय ने इन रेल परियोजनाओं को ऊर्जा गलियारे के तहत शामिल किया है और कई परियोजनाओं के लिए निर्माण चल रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं:

- पहचान की गई 38 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं और अन्य पहचान की गई (निर्माणाधीन) रेल परियोजनाओं के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई
- कोयला पीएसयू द्वारा वित्तपोषित तीन (03) रेल परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना।
- 15 रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं के चालू होने की निगरानी

3.5 शीघ्रातिशीघ्र मंजूरियां प्राप्त करना

वित्त वर्ष 2029-30 तक 1.5 बिलियन टन की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु कोयला मंत्रालय की पहल एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण और वानिकी मंजूरी (ईसी/एफसी) प्राप्त करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। कोयला खनन में वनों की कटाई, निवास स्थान समाप्त होने, वायु और जल प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए, प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए उचित मंजूरियां सुनिश्चित करना और पर्यावरणीय नियमों का पालन करना आवश्यक है।

मंजूरी प्रक्रियाओं की नियमित निगरानी और इसमें तेजी लाने के मंत्रालय के प्रयास पर्यावरणीय प्रबंधन को बनाए रखते हुए कोयला उत्पादन को सुविधाजनक बनाने संबंधी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। मंजूरी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, मंत्रालय का लक्ष्य परियोजना कार्यान्वयन में देरी को कम करना है, जिससे उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में योगदान मिलेगा।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान

- 65 एमटीवाई की वृद्धिशील क्षमता वाली 30 परियोजनाओं के लिए ईसी प्राप्त की गई।
- 1864 हेक्टेयर क्षेत्र वाली 19 परियोजनाओं के लिए चरण-II वन मंजूरी प्राप्त की गई है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 14 ईसी और 7 एफसी प्रस्तावों को मंजूरी देने का लक्ष्य रखा गया है।

3.6 ऊर्जा क्षेत्र विविधीकरण पहल

क. पिट हेड टीपीपी पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना

कोयला मंत्रालय ने नवीनतम ऊर्जा-कुशल 'सुपर या अल्ट्रा क्रिटिकल' प्रौद्योगिकियों के साथ नए पिट-हेड कोयला-आधारित ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) स्थापित करने में कोयला पीएसयू में विविधता लाने की संकल्पना की है। इसके अनुसरण में, सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में क्षमताओं की स्थापना/वृद्धि कर रहे हैं। सीआईएल उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों में पिटहेड टीपीपी स्थापित करने की संभावना तलाश रही है।

वर्तमान में, एनएलसीआईएल के संयुक्त उद्यम द्वारा घाटमपुर (उ.प्र.) में 3x660 मेगावाट के टीपीपी का निर्माण कार्य चल रहा है। एनएलसीआईएल ने ओडिशा में 3x800 मेगावाट के पिटहेड टीपीपी का निर्माण कार्य भी शुरू किया है। सीआईएल ने दो पिटहेड टीपीपी, एक ओडिशा में और दूसरा मध्य प्रदेश में संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित करने का कार्य भी हाथ में लिया है। टीपीपी के लिए कोरबा, मंड रायगढ़, ईब वैली, तालचेर, उत्तरी कर्णपुरा और राजमहल कोलफील्ड्स में लैंड बैंक बनाने का प्रस्ताव है।

3x660 मेगावाट के घाटमपुर टीपीपी को चालू करने और एमबीपीएल और एमपीजीसीएल की आधारशिला रखने का प्रस्ताव है।

ख. पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी)

कोयला मंत्रालय विशाल लैंड बैंक बैंकों के आर्थिक फायदों और आर्थिक व्यवहार्यता का लाभ कोयला-रहित कोयला खानों को पंप्ड स्टोरेज (हाइड्रो) परियोजनाओं (पीएसपी) में विकसित करने की योजना शुरू करके नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। विशाल भू-क्षेत्रों वाली 200 से अधिक कोयला रहित खानें कोयला खनन कंपनियों के पास उपलब्ध हैं।

प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि पीएसपी के लिए कुछ खानें व्यवहार्य हैं क्योंकि यहां निचले जलाशय, पर्याप्त हैड और भूमि उपलब्ध है। कोयला क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देते हुए हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी विकसित करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की योजना है। सीआईएल ने पीएसपी शुरू करने के लिए 24 परित्यक्त खान स्थलों की पहचान की है। एनएलसीआईएल और एससीसीएल ने भी पीएसपी शुरु करने के लिए खान स्थलों की पहचान की है। वित्त वर्ष 2024-25 में 5 पीएसपी देने का प्रस्ताव है।

ग. महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना

महत्वपूर्ण खनिज देश की 'ऊर्जा परिवर्तन के लिए' हरित विकल्पों की योजना बनाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि ऊर्जा परिवर्तन चक्र महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकताओं में भारी वृद्धि करेगा। सहयोगी और बहुपक्षीय बातचीत के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना देश की आवश्यकता है। भारत ने एक लचीली महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है।

कोयला पीएसयू ने खान मंत्रालय द्वारा पेश की गई घरेलू महत्वपूर्ण खनिज खानों में भाग लेने और महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए विदेशी परिसंपत्तियों की तलाश करने की भी पहल की है। सीआईएल ने अनेक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों पर सम्यक तत्परता के लिए गैर-प्रकटीकरण करारों (एनडीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। कोयला पीएसयू सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण खनिज संसाधन परिसंपत्तियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी परियोजनाओं के साथ-साथ तकनीकी सहयोग में शामिल होने की संभावना तलाश रहे हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रस्तावित विविधीकरण गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- एनयूपीपीएल द्वारा घाटमपुर टीपीपी को चालू करना
- समयबद्ध निष्पादन के लिए कोयला पीएसयू की अनुमोदित टीपीपी परियोजनाओं की निगरानी

- नए पिटहेड टीपीपी स्थापित करने की पहलों में तेजी लाना
- पहचान की गई पीएसपी परियोजनाओं की स्थापना की निगरानी और सुविधा प्रदान करना।
- पीएसपी परियोजनाओं की स्थापना के लिए अतिरिक्त कोयला रहित खान स्थलों की पहचान
- महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने की निगरानी और सुविधा।

3.7 'मेक इन इंडिया' अभियान: स्वदेशी खनन मशीनरी को बढ़ावा देना

कोयला मंत्रालय ओपनकास्ट खानों में इस्तेमाल होने वाली हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (एचईएमएम) और भूमिगत कोयला खानों में उपयोग के लिए भूमिगत खनन मशीनरी में "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रयास कर रहा है। मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने के बाद स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और खनन मशीनरी के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की।

सीआईएल ने कोयला क्षेत्र के लिए आगामी वर्षों में उपकरण आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है। स्वदेशी रूप से उपलब्ध उपकरण निर्माताओं और उनकी मौजूदा क्षमताओं की पहचान की गई और भविष्य में विस्तार के लिए प्रावधान बनाए गए थे।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रकार हैं -

- तकनीकी आवश्यकताओं और इसकी घरेलू उपलब्धता या विनिर्माण क्षमता द्वारा कोयला खानों में उपयोग के लिए खनन उपकरणों का मानकीकरण
- एकरूपता के लिए खान योजना तैयार करने और घरेलू विनिर्माण आवश्यकता को बढ़ाने में मार्गदर्शन के लिए मानकीकृत खनन उपकरणों के उपयोग को सुविधाजनक बनाना।
- भारत में आयातित खनन मशीनरी के निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता बढ़ाने हेतु 'मेक इन इंडिया' के तहत वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम तैयार करना।
- एचईएमएम के लिए आयात में लगभग 1000 करोड़ रुपये तक कमी करना।

3.8 पीएम गतिशक्ति एनएमपी का लाभ उठाना

पीएम गतिशक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी) में विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की अवसंरचना परियोजनाएं शामिल हैं जो बड़े पैमाने पर स्थानिक नियोजन उपकरणों का उपयोग करती हैं। कोयला मंत्रालय ने विशेषताओं और मेटाडेटा के साथ मैप किए गए 100 से अधिक डेटा लेयर्स की पहचान की है। डेटा लेयर्स की निगरानी की जा रही है और आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन किया जा रहा है और आवश्यकतानुसार उनकी विशेषताओं के साथ आगे की लेयर्स जोड़ी जा रही हैं। यह योजना चरण के दौरान संबंधित मंत्रालयों के संसाधनों की एकीकृत योजना प्रक्रिया को बढ़ाता है।

एनएमपी पोर्टल पर 74 डेटा लेयर को मैप किया गया है। कोयला मंत्रालय ने कोयला ब्लॉकों के साथ ओवरलैपिंग से बचने के लिए धीरौली कोयला ब्लॉक से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइन के वैकल्पिक मार्ग, पेलमा-सरदेगा और टेंटुलोई-बुधापंक लाइनों के वैकल्पिक रेल अलाइन्मेंट के मुद्दों को हल करने के लिए पीएमजीएस-एनएमपी पोर्टल का उपयोग किया है।

कोयला मंत्रालय का उद्देश्य पीएम गतिशक्ति एनएमपी प्लेटफॉर्म पर डैशबोर्ड और एप्लीकेशंस के विकास के माध्यम से कोयला क्षेत्र की परियोजनाओं के अन्वेषण से लेकर आयोजना और निष्पादन तक कोयला संसाधन की मूल्य श्रृंखला का निर्माण करने और इसे मंत्रालय के पोर्टल के साथ एकीकृत करने का है। वर्तमान में, उपलब्ध भूमि संसाधनों की पोर्टल पर मैपिंग की जा रही है। इसके अलावा, रेल मंत्रालय, बीआईएसएजी और सीएमपीडीआईएल के परामर्श से इन अवसंरचनाओं की मैपिंग द्वारा महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी की जा रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं:

- अतिरिक्त लेयर्स का निर्माण और मौजूदा लेयर्स को अद्यतन करना।
- नीलामी के अधीन कोयला ब्लॉक/खान संबंधी एप्लीकेशन/टूल्स का विकास।
- भूमि संसाधन उपयोग, अन्वेषण और खान नियोजन पर एप्लीकेशन/टूल्स के विकास की पहल करना।
- कोयला निकासी के लिए महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के लिए योजना बनाना।

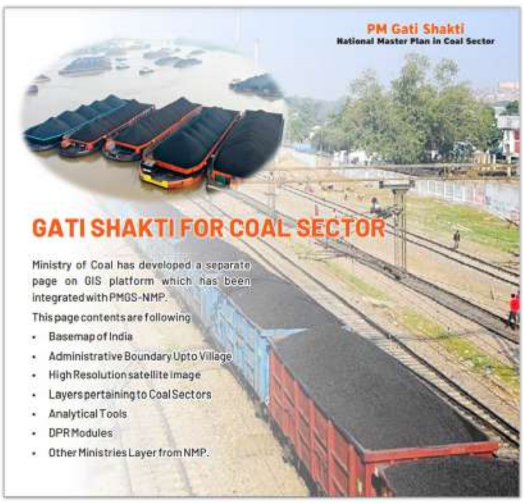

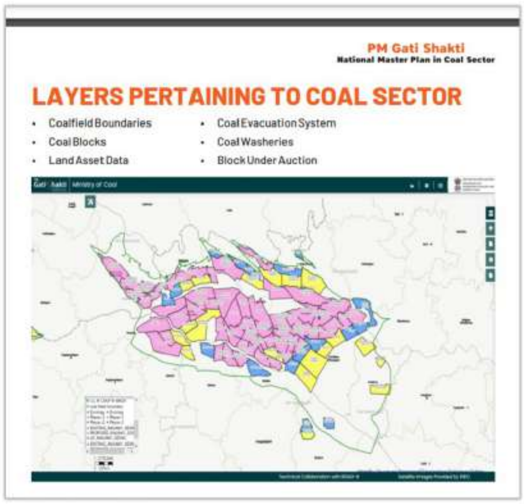

3.9 कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति

कोयला आयात प्रतिस्थापन के लिए कोयले की निर्बाध निकासी आवश्यक है। आयातित कोयले पर निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने कोयला निकासी के लिए तकनीकी समर्थित, एकीकृत, लागत प्रभावी, लचीला, सतत और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स ईको सिस्टम विकसित करने की दृष्टि से 29.02.2024 को एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स नीति और योजना शुरू की है। इस कार्यनीतिक ढांचे का उद्देश्य वित्त वर्ष 2029-30 में कोयला क्षेत्र की त्वरित मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देना है।

कोयला मंत्रालय ने कोयला लॉजिस्टिक्स योजना के निम्नलिखित केपीआई के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया है:

- वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयले की 90% मशीनीकृत हैंडलिंग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना।
- रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई/क्षमता वृद्धि लाइनों के रूप में रेल अवसंरचना का विकास करना।
- वित्त वर्ष 2029-30 तक तटीय शिपिंग के माध्यम से कोयले के परिवहन को बढ़ाकर 120 मि.ट. करना।
- वित्त वर्ष 2029-30 तक कोयले के अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ाकर 8 मि.ट. करना।
- वित्त वर्ष 2029-30 तक निकासी के लिए 1 लाख वैगनों की अतिरिक्त आवश्यकता।
- स्मार्ट कोल लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड का विकास।
- वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आनुपातिक लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे।

3.10 फ्लाई ऐश का निपटान

कोयला मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश के निपटान के उद्देश्य से परित्यक्त/गैर-कार्यशील खानों के आवंटन के लिए एक केंद्रीय स्तर के कार्य समूह का गठन किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में सात (7) टीपीपी को दस (10) खानें आवंटित की गईं थी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, लक्ष्य इस प्रकार है:

- सीईए के अनुरोध के अनुसार परित्यक्त खानों का शीघ्रता से आवंटन
- प्रचालनरत खानों में ओबी/बैक फिलिंग के साथ राख के मिश्रण के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने
- सुरक्षा और प्रशासनिक संबंधी मामलों के संबंध में खानों के आवंटन के लिए एसओपी जारी करना
- पहचान की गई खानों और टीपीपी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए एसओपी जारी करना

3.11 प्राथमिकता एजेंडा का कार्यान्वयन: पीएम सेक्टर समीक्षा और केपीआई

माननीय प्रधानमंत्री ने जून 2023 में कोयला क्षेत्र की समीक्षा की थी। कोयला क्षेत्र की समीक्षा में क्षेत्रवार चुनौतियां और परिवर्तन, पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रस्तावित हस्तक्षेप, सुधार और उपलब्धियां, कार्य योजना और क्षेत्रीय सिंहावलोकन शामिल था।

पीएम सेक्टर समीक्षा के तहत, वित्त वर्ष 2029-30 तक निम्नलिखित प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) पर जोर दिया गया है:

- 1.5 बि.ट. की कोयला उत्पादन क्षमता
- भूमिगत खानों से 75 मि.ट. कोयला उत्पादन
- कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाकर 14 मि.ट. करना
- 25 नई खानों का प्रचालन
- 90% मशीनीकृत कोयला लोडिंग का लक्ष्य
- कोयला क्षेत्र का विविधीकरण

3.12 निगरानी पोर्टलों का समय पर अद्यतन

निगरानी पोर्टल आमतौर पर केंद्रीकृत प्लेटफार्मों के रूप में काम करते हैं जहां सरकारी अधिकारियों, कोयला कंपनियों, नियामक निकायों और अन्य संबंधित पक्षों सहित हितधारक कोयला परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को हल करते हैं। कोयला मंत्रालय का लक्ष्य कोयला उत्पादन लक्ष्यों और संबंधित उपलब्धियों में तेजी लाने के लिए एक सामान्य पद्धति के रूप में कोयला परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है।

कोयला मंत्रालय निगरानी पोर्टलों जैसे प्रगति, पीएमजी/आईआईजी, ई-समीक्षा, ओसीएमएस, पीएमओ रेफरेंस, पीएम गतिशक्ति एनएमपी आदि के माध्यम से कोयला क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों, उपलब्धियों, परियोजनाओं के मुद्दों तथा मंत्रालय की पहलों की अपेक्षित अवधि या समय सीमा और आवश्यकतानुसार निगरानी कर रहा है और इन्हें अद्यतन कर रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 में पोर्टलों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय के भीतर और लागत के अनुसार प्राप्त किया जा सके।

5

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन
- अन्वेषण/कोयला भंडार/जीआर
- आरएंडडी परियोजनाएं और एसएसआरसी
- कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण
- कोल बेड मीथेन
- कोयला क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी रोडमैप
- अक्षय ऊर्जा
- मेक इन इंडिया पहल/जीटीई प्रस्ताव

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

- कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण:

(i) तीन श्रेणियों के अंतर्गत कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को वीजीएफ देने के लिए 8500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने हेतु स्कीम का अनुमोदन। योजना के पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की सहायता करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी नियुक्त की गई थी।

(ii) आरएफपी के तीन मसौदे स्टेकहोल्डरों के परामर्श के लिए परिचालित किए गए हैं।

(iii) सीसीईए ने महारत्न सीपीएसई के लिए डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित 30% की सीमा को पार करते हुए कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए बीएचईएल और जीएआईएल के साथ दो संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाने के लिए सीआईएल द्वारा इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी| सीआईएल ने एमसीएल में एससीजी परियोजना शुरू करने के लिए बीएचईएल के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए

(iv) एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने लिग्नाइट गैसीकरण आधारित मेथनॉल संयंत्र स्थापित करने के

- 2023-24 के दौरान कुल ड्रिलिंग 8.63 लाख मीटर थी।
- पहली बार केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत 98% से अधिक निधियों का उपयोग किया गया
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 04 आरएंडडी परियोजनाएं पूरी हुईं और 22 चालू परियोजनाएं हैं। केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत 100% निधियों का उपयोग किया गया है।
- कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र के लिए एक समर्पित अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में यह केन्द्र रांची में स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- 05 जीटीई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

3.1 नई अन्वेषण कार्यनीति

कोयला और लिग्नाइट का अन्वेषण दो चरणों में किया जाता है - संवर्धनात्मक और विस्तृत। गौरतलब है कि बड़े पूर्वानुमान वाले कोयला धारक क्षेत्र का अभी भी पता लगाने की आवश्यकता है। शेष क्षेत्रों में अन्वेषण में तेजी लाने और 10-12 वर्षों के भीतर संवर्धनात्मक अन्वेषण पूरा करने हेतु नई अन्वेषण कार्यनीति अपनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य संपूर्ण पूर्वानुमानित कोयलाधारी क्षेत्र को संतृप्त करना है।

सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 2980 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ "कोयला और लिग्नाइट योजना" को 05 वर्षों के लिए अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल वित्तीय परिव्यय (बीई) 730 करोड़ रुपये है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कार्य योजना इस प्रकार है:

- सीएसएस/एनएमईटी/सीआईएल/प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से अन्वेषण ड्रिलिंग लक्ष्य - 10.0 लाख मीटर
- 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण सहित वन क्षेत्र में अन्वेषण दिशानिर्देशों में संशोधन करना
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना
- उच्च जीसीवी और कोकिंग कोयला धारक क्षेत्र में अन्वेषण को प्राथमिकता देंना

3.2 कोयला के लिए अनुसंधान केंद्र की शुरुआत

कोयला मंत्रालय (एमओसी) में अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप एक शीर्ष निकाय नामत स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय परिव्यय 21 करोड़ रुपये है।

कोयला खनन क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, कोयला मंत्रालय के तहत एक विश्व स्तरीय अनुसंधान एवं विकास इकाई स्थापित करने की आवश्यकता है जो आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, सीएसआईआर प्रयोगशालाओं एनआईआरएम आदि जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से आवश्यकता-आधारित अनुसंधान एवं विकास अध्ययनों का समन्वय कर सके और कोयला क्षेत्र में उद्योगों की अनुसंधान एवं विकास पहलों को एकीकृत करने के लिए पूरे क्षेत्र में सूचना के प्रसार और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों की प्रतिकृति के लिए एक सामान्य मंच सुनिश्चित हो सके।

कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र के लिए एक समर्पित अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में यह केन्द्र रांची में स्थापित करने का प्रस्ताव है। 2024-25 के लिए कार्य योजना इस प्रकार है:

- रांची में प्रस्तावित 'राष्ट्रीय कोयला और ऊर्जा अनुसंधान केंद्र' में कार्यकलापों का प्रारंभ
- सीएसएस-08 के तहत नए अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों की स्वीकृति और सीएसएस-04 के तहत चल रही अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को पूरा करना
- अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों का प्रसार।

3.3 कोयला से रसायन

कोयला मंत्रालय ने कोकिंग कोल, तेल, गैस, मेथनॉल, अमोनिया, अन्य रासायनिक / पेट्रोकेमिकल उत्पादों के आयात को कम करके 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्य से 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है। यह घरेलू कोयले के लिए वैकल्पिक बाजार भी बनाएगा, पर्यावरण उत्सर्जन को कम करेगा और रोजगार की क्षमता को बढ़ाएगा।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने 03 श्रेणियों में कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को वीजीएफ प्रदान करने के लिए 2023-24 के दौरान 8500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक योजना शुरू की है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कार्य योजना इस प्रकार है:

- कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना का शुभारंभ
- एमसीएल में सीआईएल-बीएचईएल के संयुक्त उद्यम और ईसीएल में सीएल-गेल के संयुक्त उद्यम की स्थापना
- इस्पात निर्माण के लिए घरेलू गैर-कोकिंग कोयले के उपयोग पर रणनीति तैयार करना
- सतही कोयला गैसीकरण के लिए अधिसूचित मूल्य पर कोयला देने के लिए नीति संबंधी कार्यनीति
- 'कोयले से हाइड्रोजन' पर कम से कम एक परियोजना शुरू करना
- कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत 5 परियोजनाओं की निविदा और पुरस्कार।

3.4 भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) – भावी एजेंडा

यह अनुमान लगाया गया है कि उपलब्ध कोयला संसाधनों का लगभग 40% गहराई (300 मी गहराई से अधिक) में है जहां पारंपरिक खनन तकनीकों का उपयोग करना कठिन है और साथ ही पूंजी गहन है। कोयला/लिग्नाइट संसाधनों का उपयोग करने के लिए, जिन्हें अन्यथा पारंपरिक भूमिगत कोयला निष्कर्षण विधियों द्वारा काम करने के लिए या तो अलाभकारी माना जाता है या गहराई, भूवैज्ञानिक और सुरक्षा विचारों के कारण दुर्गम हैं, भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए दिशानिर्देश/अधिसूचनाएं 2016 में जारी की गई थीं। प्रमाणित यूसीजी प्रौद्योगिकियों की कमी और अन्य चिंताओं के कारण, पूर्व में कोयला मंत्रालय इस संबंध में आगे नहीं बढ़ सका। हाल ही में, कई संस्थाओं ने पायलट परियोजनाएं शुरू करने या यूसीजी परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि दिखाई है।

प्रस्तावित कार्य योजना निम्नानुसार है:

- नीलामी के लिए उपयुक्त कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की पहचान
- कोयला कंपनियों द्वारा यूसीजी पर पायलट परियोजनाएं स्थापित करने को सुकर बनाना
- यूसीजी ढांचे के वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा

3.5 स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना - कोल बेड मीथेन

सीआईएल द्वारा अपने मौजूदा क्षेत्र में खनन अधिकारों अथवा लीजहोल्ड के अंतर्गत सीबीएम के निष्कर्षण की अनुमति देने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संबंधी नीति जारी की गई थी। कोयला मंत्रालय ने सफल बोलीदाता द्वारा सीबीएम निकालने के अधिकार का विस्तार करके कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी में सीबीएम निकालने की सुविधा प्रदान की है।

कोयला मंत्रालय ने सीआईएल के मौजूदा लीजहोल्ड के भीतर तीन (03) सीबीएम ब्लॉकों की भी पहचान की है। इनमें से एक ब्लाक (झरिया सीबीएम ब्लाक) निजी भागीदार के माध्यम से अन्वेषण और विकास के अधीन है। प्रस्तावित गतिविधियां इस प्रकार हैं -

- मौजूदा लीजहोल्ड क्षेत्र के भीतर नए सीबीएम ब्लॉकों की पहचान
- सीबीएम ब्लॉक पट्टेदार को कोयला खनन अधिकार प्रदान करने के लिए ढांचा तैयार करना/आवंटन करना
- सीबीएम ब्लॉक आवंटन के लिए उच्च गहराई और/या अत्यधिक सघन कोयला धारक क्षेत्र की पेशकश करने के लिए रणनीति तैयार करना।

3.6 शुद्ध शून्य बिजली की खपत: सौरीकरण

धारणीय कोयला क्षेत्र के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव की आवश्यकता है। गैर-नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बेअसर करके, कोयला कंपनियां कुछ हद तक जलवायु परिवर्तन को कम करेंगी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा परिदृश्य का निर्माण करेंगी।

कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सभी सरकारी भवनों में छतों पर सौर ऊर्जा लगाने और डी-कोल्ड क्षेत्रों में सौर परियोजनाएं स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। कोयला पीएसयू द्वारा निर्धारित 'शुद्ध शून्य' बिजली खपत लक्ष्य और अब तक की उपलब्धि निम्नानुसार है-

कोयला/ लिग्नाइट पीएसयू	2030 तक दीर्घकालिक लक्ष्य	स्थापित 31.03.2024 तक नवीकरणीय		2024-2025 लक्ष्य	
		सौर	पवन	कमीशन किया जाना है	निविदा मंगाई जाएगी
सीआईएल	5000 मेगावॉट	82 मेगावॉट		230 मेगावॉट	525 मेगावॉट
एनएलसी आईएल	6800 मेगावॉट	1380 मेगावॉट	51 मेगावॉट	300 मेगावॉट	-
एससी सीएल	1700 मेगावॉट	234 मेगावॉट		65 मेगावॉट	232 मेगावॉट
कुल स्थापित	**13500** मेगावॉट	**1696** मेगावॉट	**51** मेगावॉट	**595** मेगावॉट	**757** मेगावॉट

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, यह निम्नलिखित के लिए प्रस्तावित है:

- नवीकरणीय और खपत की ऑफ-सेटिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन की निगरानी
- नई सौर परियोजनाओं (~1290मे.वा.) के आवंटन की निगरानी।

3.7 कोयला क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाना

कोयला मंत्रालय ने खानों से वर्तमान और भविष्य के उत्पादन में वृद्धि का समर्थन करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को लागू करने और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के उद्देश्य से 'कोयला क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी रोडमैप' लॉन्च किया। नई प्रौद्योगिकियां खनन कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, उत्पादकता, सुरक्षा, संचार और स्वचालन को बढ़ाती हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित कार्य योजना की पहचान की गई है:

- 5G तकनीक का कार्यान्वयन:
  - (i) 5G उपयोग केस प्रयोगशाला की स्थापना
  - (ii) कम से कम दो पायलट 5G परियोजनाओं की शुरुआत, सीआईएल की ओसी और यूजी खानों में से प्रत्येक में एक।
- प्रत्येक खान क्षेत्र में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (आईसीसीसी) का शुभारंभ।
- खनन कार्यों में ड्रोन प्रौद्योगिकी का बढ़ता उपयोग।
- इन-पिट क्रशिंग एंड कन्वेइंग (आईपीसीसी) प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त ओसी खानों की पहचान।

6

खान योजना और सुरक्षा

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- खनन योजनाओं पर दिशानिर्देश
- खानों का वैज्ञानिक रूप से बंद होना
- पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे की पूर्व स्वीकृति
- झरिया मास्टर प्लान
- रानीगंज मास्टर प्लान
- कोयले और लिग्नाइट की गुणवत्ता और ग्रेडिंग
- आपदा प्रबंधन योजना और संकट प्रबंधन योजना
- कोयला खदानों की स्टार रेटिंग
- भूमिगत खनन को बढ़ावा
- फ्लाई ऐश डिस्पोजल
- विस्फोटक पदार्थ
- सुरक्षा पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति
- कोयला खदानों में सुरक्षा संबंधी स्थायी समिति और सुरक्षा संबंधी परामर्शदात्री समिति
- खान सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा/बचाव और खान दुर्घटनाएं
- सीसीडीएसी से संबंधित मामले और सीसीओ से संबंधित तकनीकी मामले

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

2.1 खानों का वैज्ञानिक रूप से बंद होना

वर्ष 2009 से पूर्व बंद की गई खानों की पहचान तथा कोयला कंपनियों की 68 खानों की अंतिम खान समापन योजनाएं (एफएमसीपी) तथा 20 खानों की अस्थायी खान समापन योजनाएं तैयार करना।

2.2 खान सुरक्षा

- सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए "कोयला और लिग्नाइट खानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन लेखा परीक्षा" पर दिशानिर्देश 14 दिसंबर 2023 से प्रभावी हैं।
- बीसीसीएल की दो खानों और एमसीएल की एक खान में सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

2.3 आपदा प्रबंधन योजना और संकट प्रबंधन योजना

- संशोधित आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई और अनुमोदन के लिए एनडीएमए को प्रस्तुत की गई।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अद्यतन संकट प्रबंधन योजना कैबिनेट सचिवालय को सौंपी गई।
- कोयला मंत्रालय में आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना

2.4 भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा

- वित्त वर्ष 2029-30 तक भूमिगत खानों से ~ 100 एमटी कोयले का उत्पादन करने के लिए विजन प्लान का शुभारंभ।

2.5 कोयला/लिग्नाइट खान की स्टार रेटिंग

- वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 68 कोयला/लिग्नाइट खानों को फाइव स्टार रेटिंग प्रदान करना।

2.6 संशोधित झरिया मास्टर प्लान

- संशोधित झरिया मास्टर प्लान पर सीसीईए नोट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

2.7 परित्यक्त खानों में फ्लाई ऐश डंपिंग

- संशोधित झरिया मास्टर प्लान पर सीसीईए नोट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

3.1 यूजी खनन को बढ़ावा देना

घरेलू कोयला उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और वित्त वर्ष 2024-25 में 1Bt से अधिक तक पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीयकरण के बाद से भूमिगत (यूजी) खानों के योगदान में तेजी से गिरावट आई है और वर्तमान में यह 4% से कम है। पिछले पांच वर्षों का यूजी उत्पादन:

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
उत्पादन मि.ट. में	40.5	32.2	33.2	34.8	34.71

कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2030 तक यूजी खानों से कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% प्राप्त करने की परिकल्पना की है। इसके अलावा, सीआईएल ने यूजी खानों से 100 एमटी कोयला उत्पादन प्राप्त करने के लिए विजन प्लान भी तैयार किया है।

वित्त वर्ष 25 के लिए प्रस्तावित कार्यनीति और कार्य योजना हैं:

- सतत खनिकों और हाईवाल खनिकों की तैनाती में महत्वपूर्ण वृद्धि (वर्तमान तैनाती-40, अतिरिक्त तैनाती-26)
- एमडीओ के माध्यम से प्रदान की गई यूजी खानों, राजस्व हिस्सेदारी और दीर्घकालिक खनन अनुबंध का संचालन करना। (अतिरिक्त एमडीओ/राजस्व हिस्सा-4)
- उच्च क्षमता वाली यूजी परियोजनाओं की योजना।
- वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी में राजस्व हिस्सेदारी में छूट के माध्यम से यूजी खानों को बढ़ावा देने की योजना।
- वित्त वर्ष 2024-25 में यूजी कोयला खनन से 42 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन

3.2 खनन योजना और खान बंद करने की योजना

कोयला मंत्रालय ने शुरू में 2009 और 2011 में दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों को बाद में 2013 और 2020 में संशोधित किया गया था। कैप्टिव/वाणिज्यिक कोयला खनन, एमडीओ जैसी सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से पीएसयू खान प्रचालन, राजस्व हिस्सेदारी, दीर्घकालिक संविदा आदि सहित कोयला क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, न्यायसंगत बदलाव आदि की उभरती चिंताओं, हिस्सेदारी की सुरक्षा करते हुए स्थायी विकल्पों में बदलाव करना आवश्यक है।

बदलती गतिशीलता के जवाब में, मंत्रालय ने प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने, जटिलताओं को दूर करने और उभरती आवश्यकताओं और टिकाऊ प्रथाओं के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से दिशानिर्देशों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।

वित्त वर्ष 2024-25 में संशोधित दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है।

3.3 खानों में सुरक्षा निगरानी ढांचा:

कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों में सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से सुरक्षा पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचएलईसी) का गठन किया। समिति ने सुरक्षा मानकों का पता लगाने के लिए खानों का कई दौरे किए हैं और सिफारिशें की हैं जो कार्यान्वयनाधीन हैं।

कोयला मंत्रालय ने 14 दिसंबर 2023 को कोयला और लिग्नाइट खानों के योग्य लेखा परीक्षकों की वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए "सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (एसएचएमएस)" पर दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके पास डोमेन ज्ञान और अनुभव है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित कार्य बिंदु प्रस्तावित हैं:

- सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन लेखा परीक्षा दिशानिर्देशों पर निगरानी ढांचे का विकास।
- "भारतीय कोयला खान सुरक्षा रिपोर्ट" पोर्टल के माध्यम से सुरक्षा निगरानी ढांचे का विकास।
- कोयला खानों में सुरक्षा मानकों पर एचएलईसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

3.4 खानों का वैज्ञानिक रूप से समापन:

कोयला मंत्रालय ने 2009 से पहले बंद/परित्यक्त खानों को वैज्ञानिक तरीके से बंद करने के लिए 2022 में दिशा-निर्देश जारी किए ताकि जहां तक संभव हो खनन-पूर्व अवस्था में खनित भूमि को बहाल किया जा सके, पारिस्थितिकीय संतुलन लाया जा सके और देश के लाभ के लिए भूमि का उद्देश्यपूर्ण पुनः उपयोग किया जा सके। इन दिशा-निर्देशों के तहत कोयला कंपनियों को अस्थायी और खान बंद करने की अंतिम योजनाएं तैयार करनी होती हैं और इन कार्यकलापों को क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्षों के भीतर कार्यान्वित करना होता है।

सीआईएल और एससीसीएल ने वैज्ञानिक तरीके से बंद किए जाने के लिए खानों की पहचान की है। कोयला मंत्रालय द्वारा इन खानों के बंद किए जाने की निगरानी के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा एक पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित कार्य बिंदु प्रस्तावित हैं:

- रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए पोर्टल का विकास।
- खान बंद करने के कार्यकलापों की आवधिक निगरानी।

2009 से पहले की खदानें

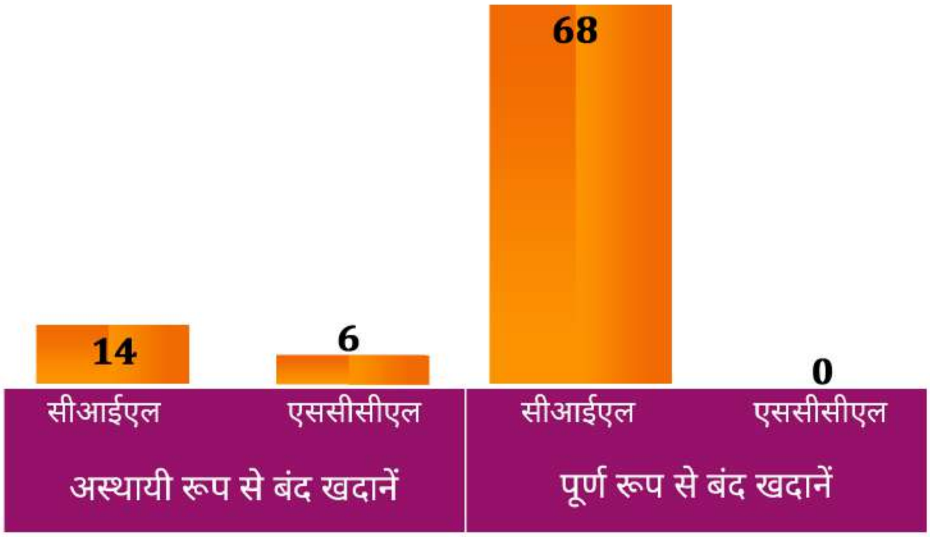

2009 के बाद की खदानें

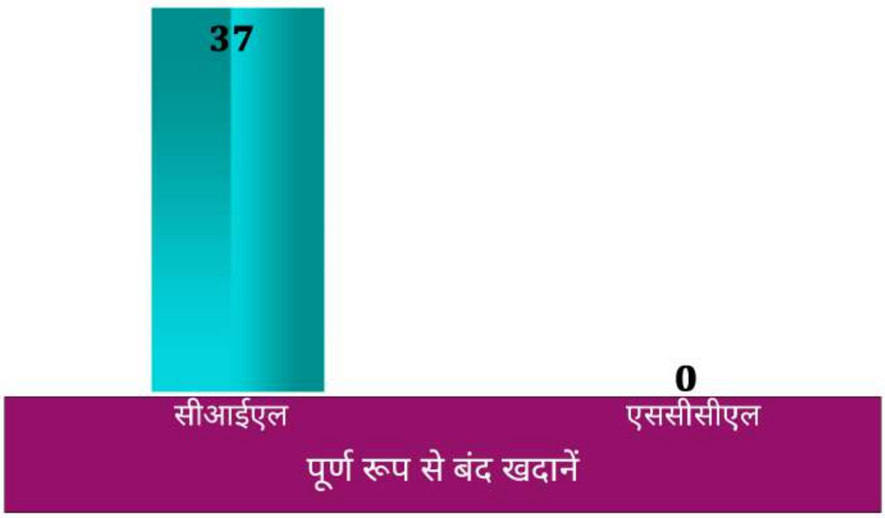

7 कॉर्पोरेट मामले (सीए)

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- जेवी सहायक कंपनियों के गठन/बंद होने, सीपीएसई के पुनर्गठन सहित सीआईएल, एनएलसीआईएल तथा एससीसीएल के कॉरपोरेट कार्य
- संपत्ति मुद्रीकरण योजना
- सीपीएसई के साथ समझौता ज्ञापन
- कैपेक्स निगरानी, विभिन्न प्राधिकरणों को मासिक रिपोर्टिंग
- दीपम के समन्वय से कोयला सीपीएसई का विनिवेश, बायबैक, ईटीएफ
- रॉयल्टी, जीएसटी मुआवजा उपकर और अन्य कराधान संबंधित मामले
- सीपीएसई के वाणिज्यिक लेखा परीक्षा पैरा, सीओपीयू
- कोयला से संबंधित मामलों का मूल्य निर्धारण
- एससीसीएल का त्रिपक्षीय समझौता

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

2.1 समझौता ज्ञापन निष्पादन की निगरानी

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होते हैं जिसमें लोक उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न बाजारोन्मुखी तथा महत्वपूर्ण/मुख्य कार्यनिष्पादन संबंधी मानदंडों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनका मूल्यांकन किया जाता है। कोयला मंत्रालय ने डीपीई द्वारा अंतिम रूप दिए गए समझौता ज्ञापन पर अपने नियंत्रणाधीन दो सीपीएसई अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसीआईएल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के तहत सीपीएसई का संक्षिप्त निष्पादन इस प्रकार है:

कंपनी	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
सीआईएल	लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन पूरा अंक 92.5 – उत्कृष्ट श्रेणी	लक्ष्य निर्धारण किया गया और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
एनएलसीआईएल	लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन पूरा अंक 83 – बहुत अच्छी श्रेणी	लक्ष्य निर्धारण किया गया और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

2.2 पूंजीगत व्यय

रु. करोड़ में

विवरण	लक्ष्य 2023-24	उपलब्धि** 2023-24
सीआईएल	**16500**	**19840.19**
एनएलसीआईएल	**2880**	**4024.43**
एससीसीएल	**1650**	**1518.87**
कुल कैपेक्स	**21030**	**25383.49**

**अंनतिम कोयला पीएसयू ने अपने वार्षिक लक्ष्य का 120.70% हासिल किया है।

2.3 वित्त वर्ष 2023-24 में हासिल की गई संपत्ति मुद्रीकरण:

रु. करोड़ में

क्र.सं.	संपत्ति श्रेणी	कुल धनराशि
1	एमडीओ	5267.83
2	कोयला ब्लॉकों की नीलामी	50316.66
3	परित्यक्त खदानें	985.00
4	वाशरी (बीओओ)	225.00
	कुल	**56794.49**

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

समझौता ज्ञापन, सीएपीईएक्स और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के संबंध में 2024-25 के लिए कार्य योजना:

3.1 समझौता ज्ञापन निष्पादन

सीआईएल और एनएलसीआईएल के लिए समझौता ज्ञापन के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कार्य योजना निम्नानुसार है:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल):

मानदंड	इकाई	भार	लक्ष्य 2024-25
संचालन से राजस्व	₹ करोड़	5	168000
कोयले का उत्पादन	एमटी	240	990
कैपेक्स	रु. करोड़	14	15500
राजस्व के % के रूप में ईबीआईटीडीए	%	10	27.40
नेट वर्थ पर रिटर्न	%	15	50
परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	68.58
ट्रेड्स के माध्यम से माल और सेवाओं के चालान की स्वीकृति / अस्वीकृति	%	5	100
अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जीईएम से खरीद	%	2	100
ऑपरेशन से राजस्व के दिनों की संख्य के रूप में प्राप्य व्यापार	दिनों की संख्या	3	30
अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहल पर व्यय पीबीटी का %	%	2	2
शेयरधारकों को कुल रिटर्न	%	15	100
	कुल	**100**	

नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड:

मानदंड	इकाई	भार	लक्ष्य 2024-25
संचालन से राजस्व	₹ करोड़	5	18000
विद्युत उत्पादन	एमयू	23	42000
कोयले का उत्पादन	एमटी	5	17.78
कैपेक्स	₹ करोड़	10	2429
राजस्व के % के रूप में ईबीआईटीडीए	%	10	40.70
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	15	14.08
परिसंपत्ति टर्नओवर अनुपात	%	5	34.63
ट्रेड्स के माध्यम से माल और सेवाओं के चालान की स्वीकृति / अस्वीकृति	%	5	100
अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जीईएम से खरीद	%	2	100
ऑपरेशन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में प्राप्य व्यापार	दिनों की संख्या	3	45
अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहल पर व्यय पीबीटी का %	%	2	2
शेयरधारकों को कुल रिटर्न	%	15	100
	कुल	**100**	

3.2 पूंजीगत व्यय

करोड़ रु. में

कंपनी	वित्त वर्ष 2024-25
सीआईएल	19,850
एनएलसीआईएल	3,040
एससीसीएल	1,600
कुल	**24,490**

3.3 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए परिसंपत्ति मोनेटाइजेशन की योजना ₹55000 करोड़ है।

8 एकीकृत वित्त प्रबंधन

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- कोयला मंत्रालय में सरकारी व्यय वाले प्रस्तावों पर वित्तीय सलाह/सहमति देना।
- मंत्रालय के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, निधियों का पुनर्विनियोजन और अनुदानों की अनुपूरक मांगें तैयार करना और वित्त मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना।
- बजट प्रबंधन पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी व्यय निगरानी/नकदी प्रबंधन के अनुपालन के साथ-साथ मितव्ययिता अनुदेश।
- कोयला मंत्रालय की विस्तृत अनुदान मांगों (डीडीजी) और आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क तैयार करना और उन्हें संसद के समक्ष रखना।
- एटीएन को सीएजी रिपोर्ट में प्रस्तुत करने की प्रगति की स्थिति की निगरानी करना और लेखा परीक्षा पैरा के मसौदे के उत्तर।
- एमओसी के तहत पीएसयू और संगठन द्वारा जीईएम के माध्यम से खरीद (माल और सेवाओं) की स्थिति की निगरानी करना।
- एएमआरसीडी तंत्र के अंतर्गत कोयला पीएसयू द्वारा उठाए गए वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए सचिवों की समिति की बैठकें आयोजित करना।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

2.1 बजट – व्यय- संशोधित अनुमान चरण में 619.04 करोड़ रुपये के कुल आवंटन की तुलना में वास्तविक व्यय 604.95 करोड़ रुपये है जो लक्ष्य का 97.72 प्रतिशत है।

2.2 जीईएम - ₹ 21,325 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले, एमओसी और इसके कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जीईएम के माध्यम से वास्तविक खरीद (माल और सेवाएं) ₹ 1,01,398 करोड़ है जो लक्ष्य का 475% है। इसके अलावा, सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में जीईएम के माध्यम से समग्र खरीद में कोयला मंत्रालय शीर्ष स्थान पर है। कोल इंडिया लिमिटेड सभी सीपीएसई के बीच जीईएम के माध्यम से समग्र खरीद में शीर्ष स्थान पर है।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

3.1 बजट प्रबंधन:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, कोयला मंत्रालय के लिए आवंटित बजट ₹922.55 करोड़ है, जिसमें से ₹843.50 करोड़ तीन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (आरएंडडी: ₹21 करोड़, कोयला और लिग्नाइट की खोज: ₹730 करोड़ और कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकास: ₹92.50 करोड़) के लिए आवंटित किया गया है। योजना घटक के तहत आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग किया जाएगा।

3.2 जीईएम खरीद:

चालू वित्त वर्ष के दौरान जीईएम के माध्यम से ₹ 40,000 करोड़ की माल और सेवाओं की खरीद की योजना बनाई गई है।

9 भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक संबंध

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- सीबीए अधिनियम का प्रशासन और इस अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण।
- सीआईएल और एससीसीएल के कार्यकारी और गैर-कार्यकारी अधिकारियों के सभी वेतन संशोधन मामले।
- राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए) और कोयला उद्योग संबंधी संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई)।
- औद्योगिक विवाद के मामले।
- रेत और कोयला परिवहन।
- अवैध खनन, कानून और व्यवस्था तथा कोयला/लिग्नाइट कंपनियों की सुरक्षा से संबंधित मामले;
- कोयला कंपनियों में ठेका श्रम से संबंधित मामले।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

- कोल इंडिया लि की सहायक कंपनियों के लिए कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अंतर्गत अधिगृहीत तथा धारा 11 के अंतर्गत निहित भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है -

  01.01.2023 से 31.3.2024 की अवधि के दौरान, कुल 6507.7316 हेक्टेयर भूमि का कोल इंडिया लि की सहायक कंपनियों के लिए कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की गई है। कुल 4268.059 हेक्टेयर भूमि का सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 की धारा 11(1) के तहत सीआईएल की सहायक कंपनियों को निधानित की गई है।

- मंत्रालय ने कोल इंडिया लि, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए-XI) के लिए समझौता ज्ञापन की पुष्टि कर दी है।

- कोयला मंत्रालय ने कोयला धारक क्षेत्रों के संबंध में उत्पन्न विवादों के मामले में मुआवजे की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से 2023-24 में झारखंड के विभिन्न जिलों यानी लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, दुमका, धनबाद, रामगढ़ में सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत 7 अंशकालिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की है।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

- कोयला मंत्रालय के लिए भूमि अधिग्रहण पोर्टल का निर्माण, जिसे 'क्लैंप' (कोयला भूमि अधिग्रहण और प्रबंधन पोर्टल) नाम दिया जाना प्रस्तावित है।
- सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 के तहत रांची (झारखंड) और तलचर (ओडिशा) में दो विशेष अधिकरणों (पूर्णकालिक) की स्थापना।
- सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम, 1957 में संशोधन।
- पीएम गति-शक्ति पोर्टल पर भूमि डाटा-बेस का निर्माण।
- सीमांकन, सीमा और बाड़ द्वारा कोयला कंपनियों द्वारा अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा करना हेतु मिशन भूमि संरक्षण
- सीपीएसयू के लिए पहले से अधिग्रहित भूमि के 75% क्षेत्र का परिवर्तन

10 संधारणीयता और न्यायोचित बदलाव

कोयला मंत्रालय न केवल विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है बल्कि स्थानीय पर्यावरण और मेजबान समुदाय के लिए उचित देखभाल को प्राथमिकता भी देता है। कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय रूप से सतत विकास मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है जिसमें कोयला उत्पादन पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, समाज की देखभाल और हमारे वनों और जैव विविधता की रक्षा के उपाय साथ-साथ होते है। कोयला खनन में पर्यावरणीय सततता लाने के महत्व को स्वीकार करते हुए, कोयला मंत्रालय कोयला/लिग्नाइट पीएसयू में विभिन्न पर्यावरणीय रूप से सतत विकास गतिविधियों की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है।

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- हरित पहल: खनन की गई भूमि/वृक्षारोपण का जैव-पुनर्ग्रहण
- इको-पार्क/खान पर्यटन स्थलों का विकास
- खान के पानी का लाभकारी उपयोग
- ओवरबर्डन (ओबी) का लाभकारी उपयोग
- ऊर्जा दक्षता के उपाय
- पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय गतिविधियों पर रिपोर्ट, ई-पुस्तकें, लघु फिल्में आदि तैयार करना
- कोयला क्षेत्र में न्यायोचित बदलाव पहलू

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

कोयला/लिग्नाइट पीएसयू की पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास गतिविधियों की वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- **हरित पहल - खनन की गई भूमि/वृक्षारोपण का जैव-सुधार:** खनन किए गए क्षेत्रों के जैव-सुधार के साथ-साथ कोयला क्षेत्रों में वृक्षारोपण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने 2400 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 54.46 लाख पौधे लगाकर लगभग 2782 हेक्टेयर क्षेत्र को हरित आवरण के तहत लाया है।

  हरित पहलों के संदर्भ में, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में "कोयला और लिग्नाइट पीएसयू में ग्रीनिंग पहल" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

यह रिपोर्ट कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा चल रहे सुधार और वनीकरण के माध्यम से कोयला खनन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए किए गए सतत और गंभीर प्रयासों पर जोर देती है। रिपोर्ट में बंद और सक्रिय दोनों प्रकार की कोयला खदानों में हरित पहलों के साथ-साथ अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल भविष्य की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है।यह रिपोर्ट कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा हरित प्रयासों के संबंध में बेसलाइन आंकड़ों के प्रारंभिक व्यापक प्रलेखन के रूप में है जो आगामी वैज्ञानिक अन्वेषणों के लिए एक मानक स्थापित करता है।

- **इको-पार्क/खान पर्यटन:** का विकास खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको-पार्कों/पर्यटन स्थलों का विकास कोयला और कोयला मंत्रालय/लिग्नाइट पीएसयू के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2 इको-पार्क/खान पर्यटन स्थलों के लक्ष्य के मुकाबले 4 इको-पार्क/खान पर्यटन स्थलों को पूरा कर लिया है।

- **खदान के पानी का लाभकारी उपयोग:** कोयला/लिग्नाइट पीएसयू सक्रिय और परित्यक्त दोनों खानों से खान के पानी के लाभकारी उपयोग में सराहनीय काम कर रहे हैं। यह प्रयास भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जल संरक्षण अभियान के लिए जल शक्ति अभियान के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने 4300 एलकेएल के लक्ष्य के मुकाबले सामुदायिक उपयोग के लिए लगभग 4892 एलकेएल खदान पानी की पेशकश की है, जिससे कोयला धारी राज्यों के 1055 गांवों में लगभग 37.63 लाख आबादी को लाभ होने का अनुमान है।

- **ओवरबर्डन का लाभकारी उपयोग:** सर्कुलर इकोनॉमी (वेस्ट टू वेल्थ) को बढ़ावा देने के इस प्रयास में, अब तक कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने वित्त वर्ष 2023-24 तक 4 ओबी प्रसंस्करण संयंत्रों और 5 ओबी को एम-सैंड प्लांटों को चालू किया है। यह प्रयास न केवल बड़े पैमाने पर समाज की मदद करेगा, बल्कि रेत के नदी तल खनन को कम करने में भी मदद करेगा।

- **ऊर्जा दक्षता उपाय:** ऊर्जा संसाधनों का कुशल उपयोग और उनका संरक्षण अत्यधिक महत्त्व रखता है क्योंकि खपत स्तर पर बचाई गई ऊर्जा की एक इकाई नई क्षमता निर्माण की आवश्यकता को 2 गुना से 2.5 गुना तक कम कर देती है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से कोयला/लिग्नाइट पीएसयू में ऊर्जा दक्षता उपायों की लगन से देखरेख की है, जिसमें एलईडी लाइट्स, ऊर्जा-कुशल एसी, पंखे, ई-वाहन, वॉटर हीटर, मोटर, ऑटो टाइमर और कैपेसिटर बैंक जैसी विभिन्न ऊर्जा-कुशल पहलों को लागू किया गया है।

- कोयला/लिग्नाइट पीएसयू में ऊर्जा दक्षता उपायों की वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

एल.ई.डी. लाईट	ऊर्जा कुशल एसी	सुपर फैन	ई-वाहन	कुशल वॉटर हीटर	पंपों के लिए ऊर्जा कुशल मोटर्स	स्ट्रीट लाइट में ऑटो-टाइमर	कैपेसिटर बैंक
संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
137165	2165	46750	153	531	338	1430	20,775 केवीएआर

- **भारत के G20 प्रेसीडेंसी:** का ऊर्जा बदलाव कार्य समूह, (ईटीडब्ल्यूजी) कोयला मंत्रालय के धारणीय और न्यायोचित बदलाव प्रभाग ने भारत के G20 प्रेसीडेंसी की सभी 4 ईटीडब्ल्यूजी बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया और योगदान दिया और मुंबई में आयोजित तीसरी ईटीडब्ल्यूजी बैठक के दौरान 15.05.2023 को "जस्ट ट्रांजिशन रोडमैप" पर एक साइड इवेंट (सेमिनार) का आयोजन किया और 15.05.2023 को "कोयला क्षेत्र में न्यायोचित बदलाव के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक अभ्यास" पर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

कोयला/लिग्नाइट पीएसयू की पर्यावरणीय रूप से धारणीय विकास गतिविधियों के वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- **हरित पहल -** खनन की गई भूमि/वृक्षारोपण का जैव-सुधार: कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 2600 हेक्टेयर के वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- **इको-पार्क/माइन टूरिज्म का विकास:** कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4 इको-पार्क/माइन टूरिज्म साइट्स का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- **खान के पानी का लाभकारी उपयोग:** कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने वित्त वर्ष 2024-25 में सामुदायिक उपयोग (घरेलू और सिंचाई उद्देश्य) के लिए 4000 एलकेएल तक खान के शोधित पानी के लाभकारी उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- **ओवरबर्डन का लाभप्रद उपयोग:** कोयला/लिग्नाइट पीएसयू में छह ओबी प्रोसेसिंग/ओबी से एम-सैंड प्लांट स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में दो संयंत्रों के चालू होने की उम्मीद है।

- **ऊर्जा दक्षता उपाय:** कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सभी विद्युत उपकरणों को ऊर्जा कुशल से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- कोयला/लिग्नाइट पीएसयू में ऊर्जा दक्षता उपायों के वित्त वर्ष 2024-25 के लक्ष्य इस प्रकार हैं:

एल.ई.डी. लाईट	ऊर्जा कुशल एसी	सुपर फैन	ई-वाहन	कुशल वॉटर हीटर	पंपों के लिए ऊर्जा कुशल मोटर्स	स्ट्रीट लाइट में ऑटो-टाइमर	कैपेसिट बैंक
संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
37033	974	94904	547	430	1414	1616	16515 kVAR+30

- कोयला उत्पादक क्षेत्रों में गांवों में 100 पारंपरिक जल निकायों की पहचान और कायाकल्प।

11 कोयला क्षेत्र के आर्थिक मामले

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- वार्षिक कोयला उत्पादन योजना तैयार करना
- कोयले की मांग का पूर्वानुमान
- कोयला उत्पादन की निगरानी
- कोयला आयात निगरानी और आयात प्रतिस्थापन
- एनआरएस को घरेलू कोयला आपूर्ति में सुधार

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

- पहले से निर्धारित 1012.14 मि.ट. वाषक कोयला उत्पादन योजना लक्ष्य की समीक्षा कोयला उत्पादक कंपनियों के साथ की गई है ताकि पहले से निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य को 1080 मि.ट. पर अंतिम रूप दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कोयले की मांग 1196.60 मि.ट. रहने का अनुमान लगाया गया है। कोयले की बेहतर मांग पूर्वानुमान के लिए सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है।
- नीतिगत उपाय के रूप में कोयला आयातक आगमन खेप के बारे में सीआईएमएस पोर्टल पर रिपोर्ट कर सकते हैं जबकि पहले यह माल आगमन से कम से कम पांच दिन पहले किया जाता था। वास्तविक समय अथवा लगभग वास्तविक समय कोयला आयात निगरानी आंकड़े प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के साथ सीआईएमएस पोर्टल के आइसगेट के साथ एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कपड़ा क्षेत्र, सीमेंट क्षेत्र, उर्वरक क्षेत्र और लुगदी और कागज उद्योगों के साथ परामर्श बैठकें आयोजित की गईं। इन क्षेत्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सीआईएल तथा रेलवे के साथ उठाया गया है।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

- कोयले की मांग का पूर्वानुमान वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2029-30 और उसके बाद के लिए किया जाएगा।

- कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस) पोर्टल का आइसगेट के साथ एकीकरण पूरा हो जाएगा और वास्तविक समय डेटा प्राप्त किया जाएगा। वास्तविक समय या लगभग वास्तविक समय कोयला आयात डेटा की सहायता से, कोयला आयात पैटर्न का गहन विश्लेषण किया जाएगा जो कोयले के आयात प्रतिस्थापन में मदद करेगा।

- एनआरएस के लिए कोयले की मांग पैटर्न का विश्लेषण वित्त वर्ष 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए कोयले की मांग पैटर्न का अध्ययन करके किया जाएगा।

- आयात को कम करने के उपायों का सुझाव देने के लिए क्षेत्रीय परामर्श।

12 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और कल्याण

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित नीतिगत मामले
- मिशन भर्ती के तहत भर्ती अभियान की निगरानी
- बोर्ड स्तर से नीचे सेवा संबंधित मामले
- लोक शिकायतें

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां:

- "स्मार्ट क्लास के माध्यम से डिजिटल शिक्षा", "थैलेसीमिया बाल सेवा योजना" और कौशल विकास के माध्यम से रोजगार, जन्मजात हृदय रोग का इलाज करने के लिए प्रोजेक्ट नन्हा सा दिल, यूपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोल इंडिया लोकसेवा प्रोत्साहन योजना जैसी कई पहलें शुरू की गईं।
- उभरती आकांक्षाओं के अनुरूप कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय में परिवर्तन करने के लिए कोयला पीएसयू के साथ दो व्यापक बैठकें आयोजित की गई थीं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 425.03 करोड़ रुपये की सांविधिक अपेक्षाओं की तुलना में 543.29 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसी प्रकार, एनएलसीआईएल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹49.09 करोड़ की सांविधिक अपेक्षाओं की तुलना में ₹58.26 करोड़ खर्च किए हैं। एससीसीएल ने 70 करोड़ रुपए की सांविधिक अपेक्षाओं की तुलना में 10.62 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
- सरकारी प्राथमिकताओं के अनुरूप मिशन भर्ती की निगरानी की गई। कोयला मंत्रालय ने अपने सीपीएसई के माध्यम से वित्त वर्ष 23-24 में 7706 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

- विज़ुअलाइज़ेशन, रीयल-टाइम लक्ष्य ट्रैकिंग और पारदर्शिता के लिए सीएसआर गतिविधियों हेतु एक डैशबोर्ड तैयार करना।

- सीएसआर गतिविधियों को विकसित भारत के दृष्टिकोण और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समन्वयित करने के लिए एक कार्यनीति पत्र तैयार करना। सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से भारत के विकास के जिम्मेदार भागीदारों के रूप में कोयला उद्योग के लिए ब्रांड निर्माण को भी शामिल करना।

- विशेष रूप से कोयला धारी राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल और खेल में समुदाय आधारित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना। जमीनी स्तर पर रोजगार के लिए माननीय प्रधानमंत्री के "देखो अपना देश" के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मूर्त तथा अमूर्त संस्कृति और विरासत के संरक्षण, हेतु कार्यनीतियां तैयार करना।

- उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी व्यवधान के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला पीएसयू के मानव संसाधन को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक समिति गठित की जाएगी।

13

सांख्यिकीय प्रबंधन

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- राष्ट्रीय कोयला और लिग्नाइट सूचकांक का संकलन (मासिक)
- वैश्विक सूचकांकों की निगरानी करना
- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों, एससीसीएल और एनएलसीआईएल आदि की मासिक डीओ रिपोर्ट का विश्लेषण।
- कोयला मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का संकलन
- प्रेस नोट के साथ मासिक सांख्यिकी रिपोर्ट जारी करना
- कोयला, लिग्नाइट, विद्युत उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, इस्पात उत्पादन, कोयला आयात और कोयला आयात मूल्यों आदि की सूचना को कवर करते हुए मासिक व्यापक रिपोर्ट
- शीर्ष 84 और शीर्ष 35 खानों की निगरानी और विश्लेषण
- कोयला आयात मूल्यों की निगरानी, विद्युत उत्पादन, कोयला उत्पादन और प्रेषण
- कोयला आयात, रिकॉर्ड उत्पादन, कोर इंडस्ट्रीज, एनसीआई आदि पर प्रेस नोट्स।
- डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) से संबंधित सभी मामलों की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाती है।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

एमओएसपीआई की मूल्य और जीवन-यापन लागत की सांख्यिकी पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी ओन एसपीसीएल) से राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक का अनुमोदन - राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक (एनएलआई) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के परामर्श से राजस्व शेयर आधार पर लिग्नाइट खानों की नीलामी को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया गया है। एनएलआई के विकास के लिए, वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 तक 20 लिग्नाइट खानों के आंकडे एकत्र किए गए,

उनका निपटान और विश्लेषण किया गया तथा आईएसआई टीम के साथ बैठकों और ईमेल एक्सचेंजों की श्रृंखला के माध्यम से एनएलआई का मसौदा मॉडल तैयार और संशोधित किया गया। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, एनएलआई का मसौदा 2 जून 2023 को अनुमोदन के लिए एमओएसपीआई की टीएसी की 73वीं बैठक के समक्ष रखा गया था, जिसमें टीएसी ने कोयला मंत्रालय से राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक की आवश्यकता पर पुनः विचार करने का अनुरोध किया था, जब केवल तीन राज्य गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु थे जिनके पास लिग्नाइट खानें थीं। एनएलआई का मसौदा 04 अगस्त, 2023 को महानिदेशक (सांख्यिकी), एनएसओ, एमओएसपीआई की अध्यक्षता में आयोजित एसपीसीएल पर टीएसी की 74वीं बैठक में पुनः रखा गया, जिसमें डीडीजी, एमओसी ने एनएलआई की आवश्यकता को स्पष्ट किया और अंत में, एसपीसीएल पर टीएसी ने आधार वर्ष 2021-22 के साथ राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक को संकलित करने की कार्यप्रणाली को अनुमोदित किया।

- अगले महीने के अंत तक मासिक आधार पर राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक का संकलन किया गया और वाणिज्यिक आधार पर कोयला खानों की नीलामी की सुविधा के लिए एनए प्रभाग को उपलब्ध कराया गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (संक्षिप्त) का संकलन किया गया और एमओपीए के निर्देशानुसार लोकसभा, राज्य सभा, पीआईबी और अन्य संगठनों को उपलब्ध कराया गया।
- कोयला क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोयला क्षेत्र की उपलब्धि पर साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति।
- सीआईएल के ई-नीलामी आंकड़ों का विश्लेषण और बोली मूल्यों से संबंधित सूचित किए गए मुद्दे जैसे कि एक ही कंपनी के समान ग्रेड के कोयले का ई-नीलामी में कम बोली मूल्य प्राप्त करना, निम्न ग्रेड के कोयले से उच्च बोली मूल्य प्राप्त करना, अधिकांश विभिन्न खानों का बोली मूल्य समान है आदि।
- सीआईएल की 84 खानों का विश्लेषण जिसमें उत्पादन लक्ष्य का 90% शामिल है और कोयला उत्पादन में बाधा डालने वाले मुद्दों को कोयला कंपनियों के साथ उठाने के लिए कोयला मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किया गया है।
- सभी स्टेकहोल्डरों के उपयोग के लिए प्रत्येक अगले महीने की 5 तारीख तक कोयला और लिग्नाइट पर मासिक सांख्यिकी रिपोर्ट तैयार और जारी की गई, जिसे मासिक आधार पर 5-6 समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- सभी स्टेकहोल्डरों के उपयोग के लिए दूसरे महीने की 10 तारीख तक कोयला, लिग्नाइट, कैपेक्स, विद्युत उत्पादन और कोयला खपत, सीमेंट उत्पादन, इस्पात उत्पादन, कोयला आयात और कोयला आयात मूल्य आदि की जानकारी को कवर करते हुए मासिक व्यापक रिपोर्ट तैयार और जारी की गई।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

- अगले महीने के अंत तक मासिक आधार पर राष्ट्रीय कोयला सूचकांक और राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक का संकलन।
- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का संकलन।
- सभी स्टेकहोल्डरों के उपयोग के लिए प्रत्येक अगले महीने की 5 तारीख तक कोयला और लिग्नाइट पर मासिक रिपोर्ट तैयार करना और जारी करना।
- सभी स्टेकहोल्डरों के उपयोग के लिए दूसरे महीने की 10 तारीख तक कोयला, लिग्नाइट, कैपेक्स, विद्युत उत्पादन और कोयला खपत, सीमेंट उत्पादन, इस्पात उत्पादन, कोयला आयात और कोयला आयात मूल्य आदि की जानकारी को कवर करते हुए मासिक व्यापक रिपोर्ट तैयार करना और जारी करना।
- तिमाही समाप्ति की 20 तारीख तक कोयला और लिग्नाइट पर त्रैमासिक पुस्तिका तैयार करना और जारी करना जिसमें भूवैज्ञानिक संसाधनों और कोयला एवं लिग्नाइट का अन्वेषण, उत्पादन और उत्पादकता, प्रेषण, पिट हेड क्लोजिंग स्टॉक, आयात और निर्यात, रॉयल्टी, डीएमएफ और एनएमईटी तथा एनसीआई से संबंधित डाटा सभी स्टेकहोल्डरों के उपयोग के लिए शामिल हैं।
- सीआईएल के मासिक डीओ का इसकी सहायक कंपनियों, एससीसीएल और एनएलसीआईएल के साथ विश्लेषण और सीसीओ से कैप्टिव ब्लॉक और लिग्नाइट ब्लॉक के मासिक उत्पादन और प्रेषण की जानकारी।
- सीआईएल के ई-नीलामी आंकड़े और बोली मूल्यों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट।
- सीआईएल के ई-नीलामी आंकड़ों का विश्लेषण और बोली मूल्यों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट।
- 90% उत्पादन लक्ष्य को कवर करते हुए सीआईएल की शीर्ष 35 और शीर्ष 84 खानों का विश्लेषण और कोयला उत्पादन में बाधा डालने वाले मुद्दों की रिपोर्ट
- वार्षिक विद्युत की मांग और कोयले की खपत का अनुमान।
- कोयला आयात मूल्यों की निगरानी, विद्युत उत्पादन
- कोयला क्षेत्र की उपलब्धि पर साप्ताहिक प्रेस विज्ञप्ति।
- कोयला और लिग्नाइट उत्पादन और स्टॉक की स्थिति, कैपेक्स, परिसंपत्ति मुद्रीकरण, बाजार पूंजीकरण, स्थिरता, आयात में कमी, नीलामी पर प्रीमियम, लॉजिस्टिक्स संवर्धन, सीबीएम/गैसीकरण, विविधीकरण, खानों की नीलामी और उत्पादन वृद्धि और प्रमुख नीतियों के आंकड़े बनाए रखना।
- डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) से संबंधित सभी मामलों की निगरानी नीति आयोग द्वारा की जाती है।

14 कोयला खान भविष्य निधि संगठन

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- सीएमपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1948 के अनुसार कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) के महत्वपूर्ण प्रशासनिक मामलों की देख-रेख करना।
- सीएमपीएफ एवं एमपी अधिनियम, 1948 के तहत बनाई गई भविष्य निधि और पेंशन योजनाओं के निष्पादन की निगरानी करना।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

2.1 डीबीटी भारत पोर्टल पर सीएमपीएस-98 की ऑन-बोर्डिंग

सीएमपीएस-98 को आधार अधिनियम, 2016 की धारा 7 के तहत दिनांक 06.04.2023 की अधिसूचना के तहत डीबीटी भारत पोर्टल पर शामिल किया गया है।

2.2 दिव्यांग पेंशन

दिनांक 04.10.2023 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा कोयला खान पेंशनभोगी के पूरी तरह से दिव्यांग बच्चे को दिव्यांग पेंशन के लिए सीएमपीएस 1998 के पैरा 13 में संशोधन किया गया।

2.3 डिजिटलीकरण और स्वचालन

सीएमपीएफओ का केंद्रीकृत दावा प्रसंस्करण और निपटान पोर्टल (सी-केयर्स) दिनांक 31.01.2024 को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में, सीएमपीएफओ के सभी पीएफ और पेंशन दावों का निपटान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।

2.4 न्यूनतम पेंशन में वृद्धि

दिनांक 08.03.2024 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या जीएसआर 165 (ई) द्वारा दिनांक 08.03.2024 से न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर प्रति माह 1000 रुपये करने के लिए कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएस), 1998 में संशोधन किया गया है।

2.5 कैडर पुनर्गठन

सीएमपीएफओ के कैडर पुनर्गठन के लंबे समय से लंबित मामले को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा अक्टूबर, 2023 में 934 पदों के लिए मंजूरी दी गई है। इन पदों के लिए भर्ती नियम मार्च, 2024 में अधिसूचित किए गए हैं। सीधी भर्ती के मामले संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के साथ उठाए गए हैं। प्रतिनियुक्ति पर भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए विज्ञापन मार्च, 2024 में प्रकाशित किए गए हैं।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

3.1 कैडर पुनर्गठन:

सीएमपीएफओ में कैडर पुनर्गठन के अनुसार सभी रिक्त पदों को वित्त वर्ष 2024-25 में भरा जाएगा।

3.2 डिजिटलीकरण और स्वचालन:

सीएमपीएफओ उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भविष्य निधि राशि और पेंशन का सीधा अंतरण वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल पोर्टल अर्थात सी-केयर्स के माध्यम से किया जाएगा। पेंशन और पीएफ खातों में सभी लेनदेन के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस अलर्ट भी प्रदान किए जाएंगे।

3.3 सीएमपीएफ और एमपी अधिनियम, 1948 का पुनर्लेखन:

कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1948 के पुनर्लेखन की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी कर ली जाएगी।

3.4 वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित विवरणों को समय पर रखना:

सीएमपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित विवरणों को संसद के दोनों सदनों में समय पर रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

15 स्थापना मामले

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत एमओसी में तैनात सभी अधिकारियों की नियुक्ति/सेवा संबंधी मामले।
- कार्यालयों और सीएसएस / सीएसएसएस / सीएससीएस कैडर और अन्य कर्मचारियों से संबंधित सभी स्थापना और सेवा संबंधी मामले।
- मंत्रालय में अनुभागों और अधिकारियों के बीच कार्य का संवितरण।
- सभी पीएसयू के बोर्ड स्तर के अधिकारियों और सीवीओ की नियुक्ति/सेवा संबंधी मामले कोयला नियंत्रक की नियुक्ति।
- आयुक्त, सीएमपीएफओ की नियुक्ति।
- कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) के प्रशासनिक मामले।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

नियुक्तियों और सेवा से संबंधित सभी मामलों को समयबद्ध रूप से तत्परता से निपटाया गया है। मंत्रालय के सुचारू कार्य को सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में अनुभागों और अधिकारियों के बीच कार्य का संवितरण किया गया है। बोर्ड स्तर की सभी नियुक्तियों को शीघ्रता से निपटाया गया है।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

3.1 बोर्ड स्तर की नियुक्तियां

कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों और एनएलसी इंडिया लिमिटेड में सभी बोर्ड स्तर की रिक्तियों को डीओपीएंडटी और पीईएसबी के परामर्श से भरा जाएगा।

3.2 सीसीओ का पुनर्गठन

वर्ष 2023 के पुनर्गठित संवर्ग के अनुसार कोयला नियंत्रक संगठन के लिए नए भर्ती नियमों की अधिसूचना डीओपीटी के परामर्श से की जाएगी। अधिकारियों की भर्ती और हायरिंग भी वित्त वर्ष 2024-25 में पूरी हो जाएगी।

16 सतर्कता प्रशासन

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- कोयला मंत्रालय में सतर्कता प्रभाग कोयला मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठनों अर्थात कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी 8 सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल), कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) और कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) से संबंधित सतर्कता मुद्दों के अलावा मंत्रालय के सतर्कता प्रशासन की देखरेख करता है।

- संगठन में प्राप्त शिकायतों का निपटान केन्द्रीय सतर्कता आयोग की 'शिकायत निपटान नीति' के अनुसार किया जाता है और कंपनी के कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए औचक जांचों, नियमित जांचों, गुणवत्ता जांचों, अनुवर्ती जांचों और सीटीई प्रकार की परीक्षाओं जैसे सक्रिय, निवारक और दंडात्मक रूप से शिकायत ट्रेकिंग प्रणाली (सीटीएस) का उपयोग करके निपटान करने तक कार्रवाई की जाती है।

- मंत्रालय का सीवीओ केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और अन्य भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों के साथ सतर्कता मुद्दों का समन्वय करता है तथा निवारक और दण्डात्मक सतर्कता के सभी पहलुओं पर कोयला और लिग्नाइट कंपनियों के मुख्य कार्यपालकों को सलाह देता है।

- कोयला मंत्रालय इन संगठनों में प्रचलित प्रक्रियाओं और प्रथाओं को सरल और कारगर बनाने पर समुचित ध्यान देता है ताकि इनके कार्यकरण को और अधिक पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाया जा सके जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम से कम हो।

- सतर्कता विभागों के कार्यकरण के प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पीएसयू के सीवीओ के साथ नियमित अंतरालों पर सचिव (कोयला)/सीवीओ के स्तर पर बातचीत की जाती है।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

- मंत्रालय में कुल 416 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी जांच की गई और सीवीसी मैनुअल 2021 के अनुसार उचित कार्रवाई की गई। (अद्यतित)

- चार बड़ी शास्ति और दो लघु शास्ति की कार्यवाहियों पर कार्रवाई की गई है।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अभियोजन की 2 मांगों को मंजूर कर लिया गया था।
- कोयला खानों में अनियमितताओं की जांच करने के लिए सभी पीएसयू और उनकी सहायक कंपनियों के सीवीओ के साथ 4 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई थीं।
- 525 सतर्कता अनापत्ति दी गई थी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और इसकी सहायक कंपनियों के बोर्ड स्तर के अधिकारी और कोयला मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

शिकायतों, विभागीय कार्यवाही, अभियोजन की मंजूरी और अन्य मामलों को सीवीसी और डीओपीटी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार निपटाया जाता है।

17 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

- कोयला क्षेत्र में अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग से संबंधित सभी मामले।
- विदेश मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरों का आयोजन।
- एमईए से राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त करने और व्यय विभाग से सचिवों की जांच समिति का अनुमोदन प्राप्त करते हुए इस मंत्रालय के अधिकारियों को आधिकारिक क्षमता से इस मंत्रालय के अधिकारियों के लिए विदेश दौरों की प्रोसेसिंग।
- सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एनएलसीआईएल सहित सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के सीएमडी के विदेश दौरा प्रस्तावों की प्रोसेसिंग।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत और अन्य मामलों को आवश्यकताओं/प्रोटोकॉल के अनुसार निपटाया गया था।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

विश्व खनन कांग्रेस, वैश्विक मीथेन पहल आदि जैसे वैश्विक निकायों और संस्थानों में देश की भागीदारी बढ़ाना।

आईटी/मीडिया

1. सौंपे गए कार्यों का सार:

मंत्रालय का आईटी सेल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, परिचालन दक्षता बढ़ाने और सेवा संवितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। आंतरिक कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करने से लेकर साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने तथा कोयला पीएसयू और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ निर्बाध संचार की सुविधा प्रदान करने तक, आईटी संगठनात्मक दक्षता और लचीलापन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार, मंत्रालय आईटी की परिवर्तनकारी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इसके संचालन को अनुकूलित किया जा सके, नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और अंततः बेहतर सेवा प्रदान की जा सके।

सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कोयला मंत्रालय की पहलों और उपलब्धियों के बारे में प्रभावी ढंग से संचार प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से, एक समर्पित मीडिया सेल बनाया गया था।

2. वित्त वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां

2.1 आईटी सेल

आईटी सेल कोयला मंत्रालय के भीतर आईटी कार्य वातावरण और सेवा वितरण के मानकीकरण तथा सुधार में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। इसने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, कोयला आयात निगरानी प्रणाली (सीआईएमएस), कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल और कोयला खानों की स्टार रेटिंग सहित विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है।

इसके अलावा, आईटी सेल ने पीएसयू और संबद्ध संगठनों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) की नियुक्ति करके साइबर सुरक्षा बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। इसने संवेदनशील सूचना की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉलों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए साइबर खतरों और घटनाओं को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजनाओं (सीसीएमपी) को विकसित और कार्यान्वित करने के लिए भी पहल शुरू की है।

आईटी सेल ने मौजूदा साइबर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू और संगठनों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से "साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यशाला" का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। कार्यशाला ने अंतर्दृष्टि के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया और अपने संबंधित संगठनों के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम साइबर सुरक्षा प्रथाओं को अपनाने की वकालत की।

इसके अलावा, आईटी सेल के समर्पण और दक्षता के लिए एक टेस्टामेंट में, कोयला मंत्रालय ने ई-ऑफिस, संस्करण 7.x के नवीनतम पुनरावृत्ति को निर्बाध रूप से स्थानांतरित कर दिया है। आईटी सेल द्वारा सावधानीपूर्वक देखे गए इस महत्वपूर्ण उन्नयन ने इष्टतम कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया है। संशोधित संस्करण परिचालन दक्षता और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के उद्देश्य से नई सुविधाओं और कार्यों की अधिकता पेश करता है। समवर्ती रूप से, आईटी सेल ने ई-ऑडिट मॉड्यूल के नवीनतम संस्करण के सफल कार्यान्वयन का नेतृत्व किया है, ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित किया है और आईटी अवसंरचना के समग्र निष्पादन को सुदृढ़ किया है।

आईटी सेल बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, स्पैरो, ई-विजिटर, निविदा प्रकाशन के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल), और सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) पोर्टल सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विभागों में आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।

2.2 मीडिया

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला मंत्रालय ने मीडिया आउटरीच और संचार कार्यनीतियों को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

कोयला मंत्रालय ने ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति में काफी वृद्धि की है। कोयला क्षेत्र से संबंधित उपलब्धियों, नीतियों, घटनाओं और भावी योजनाओं के बारे में लोगों को अपडेट करने के लिए नियमित पोस्ट किए गए थे। इन्फोग्राफिक्स, वीडियो और लाइव स्ट्रीम जैसी आकर्षक सामग्री का उपयोग प्रमुख संदेशों और पहलों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए किया गया था।

नियमित प्रेस विज्ञप्तियां और प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेखों का प्रकाशन जिसमें विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है, मीडिया और जनता के लिए सूचना का एक सतत प्रवाह बनाए रखती है। कोयला मंत्रालय ने स्टेकहोल्डरों के साथ जुड़ने और कोयला क्षेत्र में नवीनतम विकास पर अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यक्रमों, सम्मेलनों और सेमिनारों का आयोजन किया है। इन घटनाओं ने उद्योग के विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और जनता के साथ बातचीत करने के लिए मंच प्रदान किया, जिससे सार्थक चर्चा और सहयोग की सुविधा मिली।

इन सभी प्रयासों ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला मंत्रालय की दृश्यता में वृद्धि की है, जिससे कोयला क्षेत्र के भीतर पारदर्शिता और जुड़ाव बढ़ा है।

3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य/कार्य योजना

3.1 आईटी सेल

- राष्ट्रीय कोयला पोर्टल का कार्यान्वयन: इसमें कोयले से संबंधित जानकारी, सेवाओं और संसाधनों (एनसीपी) को समर्पित एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सफल संचालन शामिल है।
- साइबर सुरक्षा की निगरानी: साइबर सुरक्षा की निगरानी के पीछे नियमित उद्देश्य मंत्रालय की डिजिटल अवसंरचना और साइबर खतरों तथा अन्य कमजोरियों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की निरंतर निगरानी और वृद्धि सुनिश्चित करना है।
- मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न एप्लिकेशन/पोर्टलों की सुरक्षा लेखा परीक्षा: मंत्रालय से संबंधित विभिन्न अनुप्रयोगों और पोर्टलों के लिए सुरक्षित नीलामी आयोजित करना, डाटा सुरक्षा और नियमों के अनुपालन को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करना।
- आईटी सेल की इन पहलों से डिजिटल अवसंरचना का आधुनिकीकरण, साइबर सुरक्षा लचीलापन बढ़ाने, और पारदर्शी तथा कुशल डिजिटल संचालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

3.2 मीडिया

वित्त वर्ष 2024-25 को देखते हुए, मीडिया क्षमताओं और आउटरीच प्रयासों को और मजबूत करने के लिए प्रमुख उपलब्धियां निर्धारित की गई हैं। ये उपलब्धिओं में निम्नानुसार हैं:

- मीडिया साक्षरता क्षमताओं को बढ़ाना और आउटरीच प्रयासों का विस्तार करना।
- मीडिया अभियानों को मजबूत करना, स्टेकहोल्डर से सहभागिता को बढ़ाना और नवीन मीडिया नियोजन कार्यनीतियों का लाभ उठाना।
- नियमित सोशल मीडिया पोस्ट और सहभागिता को बनाए रखना।

ये उपलब्धियां कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, सहभागिता और संचार प्रभावशीलता को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण होंगी।

19

100 दिन - वित्त वर्ष 2024-25 में प्रमुख कार्य मदें

क्र. सं.	मुख्य कार्य मदें	क्रिया कार्य मदों का स्वामी
1	58 मि.ट. की क्षमता वाली 12 नई खानों का संचालन	कोयला सीपीएसई/ निजी क्षेत्र
2	सीआईएल द्वारा कोयले के यंत्रीकृत लदान को मौजूदा 16% से बढ़ाकर 33% करना	कोयला सीपीएसई
3	संशोधित झरिया मास्टर प्लान लॉन्च करना	कोयला मंत्रालय
4	कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए बोलियां शुरू करना	कोयला मंत्रालय/ कोयला सीपीएसई
5	वॉशिंग रूट के जरिए इस्पात क्षेत्र के लिए कोयले की नीलामी करने की नीति	कोयला मंत्रालय
6	संशोधित भूमि उपयोग नीति जारी करना	कोयला मंत्रालय
7	संशोधित खान योजना संबंधी दिशानिर्देश जारी करना	कोयला मंत्रालय
8	कोयला व्यापार एक्सचेंज की स्थापना के लिए नीति	कोयला मंत्रालय
9	स्मार्ट कोयला निकासी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) लॉन्च करना	कोयला सीपीएसई
10	कोकिंग कोयला लाभप्रदता/वॉशिंग (क्षमता – 2 एमटीपीए)	कोयला सीपीएसई
11	तापीय ऊर्जा में विविधीकरण – 660 मेगावाट शुरू करना	कोयला सीपीएसई
12	सौर ऊर्जा में विविधीकरण – 1 गीगावॉट का शिलान्यास/उद्घाटन	कोयला सीपीएसई

20 विकसित भारत- विजन 2047 (5 वर्षीय कार्य योजना 2024-29)

वर्ष 2047 के लिए व्यापक लक्ष्य

- ऊर्जा स्वतंत्रता
- सस्ती और सुलभ ऊर्जा
- खनिज सुरक्षा
- पर्यावरण स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा
- वैश्विक उपस्थिति और फोकस
- संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र सुधार

1. ऊर्जा स्वतंत्रता: अन्वेषण और उत्पादन में वृद्धि

क्र. सं.	प्रमुख कार्य मदें	वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2024-25)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2027-28)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2028-29)
1	कोयले में आत्मनिर्भर भारत (एमटीपीए में उत्पादन क्षमता)	1000	1080	1280	1340	1390	1460
2	संपूर्ण कोयला पूर्वानुमान क्षेत्र (वर्ग कि.मी में क्षेत्र) को संतृप्त करने के लिए नई अन्वेषण कार्य नीति	250	300	350	400	400	400
3	10-12 वर्षों में अन्वेषण के 120 लाख मीटर (8500 वर्ग कि.मी) का लक्ष्य प्राप्त करना	7.5	8	10	12	12	12
4	100 नई खानों का संचालन	18	20	22	25	18	15
5	कोयला उत्पादन क्षमता को 500 मि.ट. तक बढ़ाना	70	80	100	120	100	100
6	75 मि.ट. भूमिगत कोयला उत्पादन प्राप्त करना	35	40	50	60	65	75
7	कोकिंग कोयला लाभप्रदीकरण- 60 एमटीपीए की वॉशिंग क्षमता	25	4.5	-	-	17.0	13.5
8	महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक प्राप्त करना	-	-	1	-	1	-

2. मांग प्रबंधन और आपूर्ति प्रतिस्थापन

क्र. सं.	प्रमुख कार्य मदें	वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2024-25)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2027-28)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2028-29)
1	कोयले से रसायनों को बढ़ावा देना (स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पहल)	-	-	-	2.3	2.3	5.3
2	गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए योजना का संचालन	योजना शुरू की गई	आरएफपी का फ्लोटिंग	लाभार्थियों का चयन	पहली स्थापना	-	-
3	कोयला गैसीकरण के लिए अधिसूचित मूल्य पर कोयले की पेशकश करने संबंधी नीति	-	नीति अनुमोदन नीति अनुमोदन	-	-	-	-
4	भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए बोलियां शुरू करना	-	खानों की पहचान करना और उन्हें लॉन्च करना	-	-	-	-
5	3 गैसीकरण परियोजनाओं का निर्माण		संयुक्त उद्यम का निर्माण और निविदा आमंत्रित करना	निर्माण शुरू करना	-	-	1
6	कम से कम 1 कोयला से हाइड्रोजन प्रायोगिक परियोजना स्थापित करें	-	प्रस्ताव की मंजूरी	-	1	-	-

3. संवर्धित परिवहन प्रणाली

क्र. सं.	प्रमुख कार्य मदें	वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2024-25)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2027-28)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2028-29)
1	90% यंत्रीकृत निकासी प्राप्त करना	45%	55%	60%	70%	80%	90%
2	पीक निकासी को बढ़ाने के लिए 50 महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को पूरा करना	3	-	2	2	12	34
3	सीआईएल द्वारा कोयले के यंत्रीकृत लदान को मौजूदा 16% से बढ़ाकर 33% करना	लोडिंग बढ़ाना		-	-	-	-
4	स्मार्ट कोयला निकासी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) लॉन्च करना	लाँच करना					

4. सस्ती और सुलभ ऊर्जा - विविधीकरण

क्र. सं.	प्रमुख कार्य मदें	वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2024-25)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2027-28)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2028-29)
1	7160 मेगावाट की क्षमता के साथ नए पिट हेड थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) स्थापित करना	-	1980	-	-	-	5180
2	8969 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना	1461	729	1765	2160	2065	2250
3	कोयला रहित कोयला खानों में 10 पंप भंडारण संयंत्रों (पीएसपी) की स्थापना	-	-	-	-	5	5

5. पर्यावरणीय स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा

क्र. सं.	प्रमुख कार्य मदें	वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2024-25)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2027-28)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2028-29)
1	कोयला रहित भूमि का पुनरुत्पादन: हरित पहल - 15,350 हेक्टेयर में जैव-पुनरूद्धार/वृक्षारोपण	2782	2600	2800	3100	3300	3500
2	सामुदायिक उपयोग (घरेलू और सिंचाई) के लिए खान जल का लाभकारी उपयोग – प्रत्येक वर्ष 4000 एलकेएल	4892 (प्रस्तावित)	4000	4000	4000	4000	4000
3	कोयले के सड़क परिवहन को 20% से घटाकर 10% से कम करना	20%	18%	16%	14%	12%	10%
4	50 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों (सीएएक्यूएमएस) के संचालन के माध्यम से व्यापक पर्यावरणीय निगरानी	31 (~100 काम कर रहे हैं)	10	10	10	10	10
5	प्रत्यायित प्रतिपूरक वनीकरण (एसीए) भूमि बैंक (6,000 हेक्टेयर)	शुरू किया गया	1500	1700	2000	2000	2000
6	50 इको-पार्क/खान-पर्यटन स्थलों का विकास	4	4	8	8	10	10

6. वैश्विक उपस्थिति और फोकस

क्र. सं.	प्रमुख कार्य मदें	वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2024-25)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2027-28)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2028-29)
1	विश्व खनन कांग्रेस (डब्ल्यूएमसी)	• अंतर्राष्ट्रीय आयोजन समिति (आईओसी) के मौजूदा सदस्य • एमओसी के तहत भारतीय राष्ट्रीय समिति की कार्यकारी समिति					
2	ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव (जीएमआई)	• वर्तमान में, जीएमआई की संचालन समिति के सह-उपाध्यक्ष • एमओसी के तहत, सीएमपीडीआईएल यूएसईपीए द्वारा सीबीएम/सीएमएम क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है					

7. संसाधन इको-सिस्टम सुधार

क्र. सं.	प्रमुख कार्य मदें	वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2024-25)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2027-28)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2028-29)
1	नीलामी/आवंटित कोयला ब्लॉकों में पाए गए सभी खनिजों के अधिकार देने की नीति	-	नीति का अनुमोदन मिलना	-	-	-	-
2	2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण सहित वन क्षेत्र में ड्रिलिंग दिशानिर्देशों में संशोधन	एमओईएफएंडसीसी द्वारा संशोधित दिशानिर्देश जारी करना		-	-	-	-
3	मूल्यानुसार आधार पर जीएसटी का संशोधन	-	एमओएफ द्वारा संशोधन				
4	कोयला व्यापार विनिमय की स्थापना	कैबिनेट की मंजूरी, एमएमडीआर संशोधन		विक्रेता चयन, विनिमय संचालन		-	-
5	वॉशरियों के माध्यम से इस्पात क्षेत्र को कोकिंग कोयला/ पीसीआई कोयले की पेशकश करने की नीति	-	नीति निर्माण और अनुमोदन मिलना		-	-	-
6	कोयला खनन क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना (आवश्यकता करोड़ रुपये में)	800	3000	3200	3400	3000	3000
7	संशोधित भूमि उपयोग नीति जारी करना	दिशा-निर्देश जारी करना					
8	संशोधित खनन योजना दिशानिर्देश जारी करना	दिशा-निर्देश जारी करना					
9	सीबीए अधिनियम का संशोधन	संशोधन की मंजूरी					

7. प्रौद्योगिकी और अनुसंधान को बढ़ावा देना

क्र. सं.	प्रमुख कार्य मदें	वर्तमान स्थिति (वित्त वर्ष 2023-24)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2024-25)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2025-26)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026-27)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2027-28)	लक्ष्य (वित्त वर्ष 2028-29)
1	राष्ट्रीय कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन करना	-	अनुसंधान एवं विकास केंद्र शुरु करना	-	-	-	-

सत्यमेव जयते

कोयला मंत्रालय

Ministry of Coal

Ministry of Coal